



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1350]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2008/आश्विन 2, 1930

No. 1350]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2008/ASVINA 2, 1930

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2008

का.आ. 2265(अ).—प्रारूप नियम, अर्थात् परिसंकटमय सामग्री (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचलन) नियम, 2007 भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा का.आ. संख्यांक 1676 (अ), तारीख 28 सितंबर, 2007 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में, उसी तारीख को प्रकाशित किए गए थे जिरामें उन सभी व्यक्तियों से जिनके इनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 28 सितंबर, 2007 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से उक्त अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986(1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन)नियम, 1989 उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण को करने से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

## अध्याय -1

## आरंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचलन) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना,-** ये नियम अनुसूचियों में यथाविनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्ट के हथालन को लागू होंगे और निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे -

(क) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974(1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981(1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले अपशिष्ट जल और निष्काराक गैस ;

(ख) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958( 1958 का 44)के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले सुसंगत आधार रेखा के पांच किलोमीटर से परे पोतों के प्रचालन से उद्भूत होने वाले अपशिष्ट ;

(ग) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962(1962 का 33)के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले रेडियोधर्मी अपशिष्ट ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1998 के अन्तर्गत आने वाले जैव चिकित्सा अवशिष्ट; और

(ङ.) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नगर पालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन)नियम, 2000 के अधीन आने वाले अपशिष्ट ;

3. **परिभाषाएं,-(1)** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम " से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986(1986 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकार" से नियम 5 के उपनियम (4)के अधीन परिसंकटमय अपशिष्टों के उत्पादन, हथालन संग्रहण, ग्रहण, अभिक्रिया परिवहन, भंडारण, पुनःचक्रण, पुनःप्रक्रिया, पुनःप्राप्ति, पुनःप्रयोग और उनके व्ययन के लिए दी गई अनुज्ञा अभिप्रेत है ।

(ग) "बेसल कंवेशन" से परिसंकटमय अपशिष्टों और उनके व्ययन के सीमा पार संचलन के नियंत्रण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कंवेशन अभिप्रेत है :

(घ) "केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 (1974 का 6) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है;

(ङ.) "व्ययन" से कोई ऐसी संक्रिया अभिप्रेत है, जिसमें पुनः चक्रण, पुनःप्राप्ति या पुनःप्रयोग करना नहीं है और इसके अंतर्गत सुरक्षित भूमि में भौतिक रसायन, जैविक अभिक्रिया, भस्मीकरण तथा व्ययन भी हैं ।

(च) "निर्यात" से उसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित भारत से भारत के बाहर किसी स्थान को, ले जाना अभिप्रेत है;

(छ) "निर्यातकर्ता" से निर्यात करने वाले देश की अधिकारिता के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो परिसंकटमय अपशिष्ट का निर्यात करता है और जिसमें वह देश भी सम्मिलित है, जो परिसंकटमय अपशिष्ट का निर्यात करता है ;

(ज) "परिसंकटमय अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से राही प्रबंध" से अभिप्रेत है यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सभी अपेक्षित कदम उठाना कि परिसंकटमय अपशिष्टों का प्रबंधन ऐसी रीति से किया जाता है जो ऐसे अपशिष्ट के परिणामस्वरूप हो सकने वाले विपरीत प्रभावों से, स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा करेगी ;

(झ) "पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रौद्योगिकी" से केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर अनुमोदित की गई कोई प्रौद्योगिकी अभिप्रेत है;

(ञ) "सुविधा" से ऐसा कोई रथापन अभिप्रेत है, जिसमें परिसंकटमय अपशिष्ट के हथालन, संग्रहण, ग्रहण, अभिक्रियान्वयन, भंडारण, पुनःचक्रण, पुनःप्राप्ति, पुनःप्रयोग और व्ययन से आनुषंगिक प्रक्रियाओं को किया जाता है ।

- (ट) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ठ) "परिसंकटमय अपशिष्ट" से ऐसा कोई अपशिष्ट अभिप्रेत है, जिससे उसके किसी भौतिक, रसायनिक, पुनःअभिक्रिया, अविषी, ज्वलनशील, विस्फोटक या संक्षारक लक्षणों के कारण स्वास्थ्य या पर्यावरण को खतरा उत्पन्न होता है या खतरा उत्पन्न होने की संभावना है, चाहे अकेले या जब वह अन्य अपशिष्टों या सामग्री के संपर्क से और जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,
- (i) अनुसूची- 1 के स्तंभ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अपशिष्ट ;
- (ii) अनुसूची- 2 में विनिर्दिष्ट संघटकों वाले अपशिष्ट, यदि उनके सांद्रण उक्त अनुसूची में दर्शित सीमा के समतुल्य हैं या उनसे अधिक हैं ; और
- (iii) नियम 12, नियम 13, और नियम 14 के अनुसार में ऐसे अपशिष्टों के आयात और निर्यात के संबंध में अनुसूची -3 के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट अपशिष्ट या भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट से भिन्न अपशिष्ट, यदि उनमें उस अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट परिसंकटमय लक्षणों में से कोई है ;
- (ड) "परिसंकटमय अपशिष्ट स्थल" से परिसंकटमय अपशिष्टों के संग्रहण, ग्रहण, अभिक्रिया, भंडारण और पर्यावरण में व्ययन करने का ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित किया गया है ;
- (ढ) "आयात" से उसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाना अभिप्रेत है ;
- (ण) "आयातकर्ता" से ऐसा कोई अधिष्ठाता या कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो परिसंकटमय अपशिष्टों का आयात करता है ;
- (त) "सूची" से इन नियमों के उपबंधों के अनुसार अधिष्ठाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा तैयार किया और हस्ताक्षरित परिवहन दस्तावेज अभिप्रेत है;
- (थ) "अधिष्ठाता" से किसी कारखाने या परिसर के संबंध में कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका कारखाने या परिसरों के कार्यकलापों पर नियंत्रण है और इसमें किसी पदार्थ के संबंध में वह व्यक्ति सम्मिलित

है, जिसके कब्जे में परिसंकटमय अपशिष्ट है ;

(द) "व्ययन सुविधा का प्रचालक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो परिसंकटमय अपशिष्टों के संग्रहण, ग्रहण, अभिक्रियान्वयन, भंडारण और व्ययन के लिए कोई सुविधा लेता है या जो उसे प्रचालित करता है ;

(ध) "पुनःचक्रणकर्ता या पुनःप्रसंस्करणकर्ता या वास्तविक उपभोक्ता" से ऐसा अधिष्ठाता अभिप्रेत है जो पुनः प्राप्ति या पुनःचक्रण या पुनःउपयोग के लिए परिसंकटमय अपशिष्टों को उपाप्त या उनका प्रसंस्करण करता है ;

(न) "पुनःचक्रण" से मूल प्रयोजन या किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए किसी पर्यावरणीय ठोस रीति में परिसंकटमय अपशिष्टों का पुनरुद्धार और पुनःप्रसंस्करण अभिप्रेत है ;

(प) "पुनःउपयोग" से ऐसी परिसंकटमय अपशिष्ट का उसके मूल उपयोग या अन्य उपयोग के प्रयोजन के लिए उपयोग अभिप्रेत है ;

(फ) "पुनःप्राप्ति" से किसी पुनःचक्रण संक्रिया में कोई ऐसा प्रचालन अभिप्रेत है जिसमें विनिर्दिष्ट सामग्री का प्रत्युद्धारण किया जाता है ;

(ब) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(भ) संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है ;

(म) "राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974(1974 का 6) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति अभिप्रेत है ;

(य) "भंडारण" से किसी ऐसी अस्थायी अवधि के लिए परिसंकटमय अपशिष्टों का भंडारण करना अभिप्रेत है जिसकी समाप्ति पर ऐसे अपशिष्ट को प्रसंस्कृत कर दिया जाता है या उसका व्ययन किया जाता है ;

(यक) "सीमापार संचलन" से एक देश की अधिकारिता के अधीन किसी क्षेत्र से अन्य देश की अधिकारिता के अधीन किसी क्षेत्र को या उससे होकर या किसी ऐसे क्षेत्र को या उससे होकर या जो किसी देश की अधिकारिता

के अधीन नहीं है, परिसंकटमय अपशिष्टों का कोई संचलन अभिप्रेत है : परंतु यह ऐसे संचलन में कम से कम दो देश हैं ;

(य)(ख) "परिवहन" से परिसंकटमय अपशिष्ट का वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग या जल मार्ग द्वारा संचलन अभिप्रेत है;

(य)(ग) "परिवाहक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो परिसंकटमय अपशिष्ट के वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग या जल मार्ग द्वारा व्ययन स्थल के लिए परिवहन में लगा हुआ है ;

(य)(घ) "अभिक्रियान्वयन" से ऐसा ढंग, तकनीक या प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो किसी परिसंकटमय अपशिष्ट के भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों या संयोजनों के ऐसे परिवर्तन के लिए प्रकल्पित है, जिससे हानि कारित करने की उसकी क्षमता को कम किया जा सके;

(यड.) "प्रयुक्त तेल" से ऐसा तेल अभिप्रेत है -

(क) जो कच्चे तेल से या संश्लेषित तेल वाले मिश्रण से व्युत्पन्न होता है, जिसके अंतर्गत प्रयुक्त इंजन तेल, गियर तेल, हाइड्रोलिक तेल, टरबाइन तेल, कम्प्रेशर तेल, औद्योगिक गियर तेल, ऊष्मा अंतरण तेल, ट्रांसफार्मर तेल, भुक्तशेष तेल और उनके टैंक तल अपांक भी हैं ; और

(ख) पुनःप्रक्रिया के लिए उपयुक्त है, यदि वह अनुसूची-5 के भाग क में अधिकथित विनिर्देश को पूरा करता है;

(यच) "अपशिष्ट तेल" से ऐसा कोई तेल अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत कच्चे तेल का अधिप्लावन, पायरा, टैंक तल अपांक और पेट्रोलियम परिरकरणीयों से, संस्थापन या पोत ढाल तेल जनित भी हैं और जिसका उपयोग ऊर्जा पुनःप्राप्ति के लिए भट्टी में इंधन के रूप में किया जा सकता है यदि वह उसी रूप में या उसके बाद पुनःसंसाधित रूप में अनुसूची- 5 के भाग - ख में अधिकथित विनिर्देशों को पूरा करते हैं ।

उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

परिसंकटमय अपशिष्टों के संभलाई के लिए प्रक्रिया

4. परिसंकटमय अपशिष्टों के संभलाई के लिए अधिष्ठाता के उत्तरदायित्व-(1) अधिष्ठाता अपने स्थापन में उत्पन्न सभी परिसंकटमय अपशिष्टों के सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ संभलाई के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) किसी अधिष्ठाता के स्थापन में उत्पन्न होने वाले सभी परिसंकटमय अपशिष्ट इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत या प्राधिकृत पुनःचक्रण या पुनःप्रसंस्करणकर्ता या पुनःप्रयोक्ता को भेजे जाएंगे या विक्रय किए जाएंगे या उनका किसी प्राधिकृत व्ययन सुविधा में व्ययन किया जाएगा ।
- (3) अधिष्ठाता के स्थापन से परिसंकटमय अपशिष्ट का पुनःचक्रण या पुनः उपयोग या पुनः प्रसंस्करण के लिए किसी पुनःप्रसंस्करणकर्ता को या व्ययन के लिए किसी प्राधिकृत सुविधा को परिवहन इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।
- (4) अधिष्ठाता या उराकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, जो सुविधा, अभिक्रियान्वयन, भंडारण, व्ययन सुविधा के प्रचालक द्वारा अपने परिसंकटमय अपशिष्ट का अभिक्रियान्वयन या व्ययन का आशय रखता है, वह सुविधा के प्रचालक को ऐसी जानकारी देगा, जो राज्य और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवधारित की जाए।
- (5) अधिष्ठाता, परिसंकटमय अपशिष्टों की संभलाई के समय निम्नलिखित के संबंध में सभी उपयुक्त उपाय करेगा :
- (i) संपदों को अंतर्विष्ट करना और दुर्घटनाओं को रोकना तथा मानवों और पर्यावरण पर उनके परिणामों को सीमित करना ; और
- (ii) स्थल पर काम करने वाले व्यक्तियों को, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण उपस्कर और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना ।

2. पारसकटमय अपशिष्ट क हथालन क ललए प्रलधकार प्रदलन करना

(1) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से, जो परिसंकटमय अपशिष्ट को उत्पन्न करने, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, नष्ट करने, संरक्षण, विक्रय के लिए प्रस्ताव करने, अंतरण या उसी के कार्य में लगे हैं, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करने की अपेक्षा होगी ।

(2) परिसंकटमय अपशिष्टों का संग्रहण, अभिक्रियान्वयन, पुनःचक्रण, पुनःउपयोग, भंडारण या व्ययन केवल ऐसी प्रसुविधाओं में किया जाएगा, जो इस प्रयोजन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किए जाएं ।

(3) परिसंकटमय अपशिष्टों के उत्पादन, सक्रिया, अभिक्रियान्वयन, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, नष्ट करने, संरक्षण, विक्रय के लिए प्रस्ताव, स्थानांतरण या समान कार्य में लगा प्रत्येक व्यक्ति या सुविधा का अधिष्ठाता इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से साठ दिन के भीतर प्राधिकार के लिए प्ररूप 1 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवेदन करेगा :

परंतु इन नियमों के प्रवर्तन की तारीख से पूर्व परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1989 के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति से, ऐसे प्राधिकार की समाप्ति की अवधि तक प्राधिकार के लिए आवेदन करने की अपेक्षा नहीं होगी ।

(4) प्राधिकार के लिए सभी प्रकार से पूर्ण पूरा आवेदन के प्राप्त होने पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझें और समाधान हो जाने पर कि आवेदक के पास समुचित सुविधाएं, तकनीकी क्षमता और परिसंकटमय अपशिष्टों के सुरक्षित हथालन के उपस्कर हैं, एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर आवेदक को प्ररूप - 2 में प्राधिकार प्रदान करेगा, जो पांच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और ऐसी शर्तों के अधीन होगा, जो उसमें अधिकथित की जाएं ।

(5) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आवेदक को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् किसी प्राधिकार को अनुदत्त करने से इंकार कर सकेगा ।



(6) इन नियमों के अधीन प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति प्ररूप - 3 में उराके द्वारा संभाले गए परिसंकटमय अपशिष्टों का अभिलेख रखेगा और प्ररूप 4 में निविर्दिष्ट ब्यौरों वाली एक वार्षिक विवरणी तैयार करेगा और उस वित्तीय वर्ष की पश्चातवर्ती 30 जून को या उससे पूर्व, जिससे विवरणी संबंधित है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजेगा ।

(7) प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन, उराकी समाप्ति से पहले प्ररूप - 1 में किया जाएगा और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस शर्त के अधीन रहते हुए कि अधिनियम के उपबंधों या उराके अधीन बनाए गए नियमों या प्राधिकार में विनिर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन की कोई रिपोर्ट नहीं है, प्रत्येक मामले की गुणागण के आधार पर परीक्षा करने के पश्चात् प्राधिकार का नवीकरण कर सकेगा ।

(8) प्रसुविधा का अधिष्ठाता या प्रचालक उत्पादित अपशिष्टों को कम करने या रोकने के लिए या उनके पुनःचक्रण या पुनःउपयोग के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, सभी उपाय करेगा और प्राधिकार में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करेगा ।

(9) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परिसंकटमय अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए इन नियमों के अधीन अधिरोपित शर्तों की विशिष्टियों वाला एक रजिस्टर रखेगा और वह किसी भी हितबद्ध या प्रभावी व्यक्ति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए खुला रहेगा ।

**6. प्राधिकार को निलंबित या रद्द करने की शक्ति -- (1)** राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यदि उसकी यह राय है कि प्राधिकार का धारक, प्राधिकार की किसी शर्त या अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का अनुपालन करने में असफल रहा है और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा उसके कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् नियम, 4 के अधीन जारी किए गए प्राधिकार को ऐसी अवधि के लिए निलंबित या रद्द कर सकेगा, जो वह लोकहित में आवश्यक समझे ।

(2) प्राधिकार के निलंबन और निरस्तीकरण पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उस व्यक्ति को; जिसका प्राधिकार निलंबित या निरस्त किया गया है, परिसंकटमय अपशिष्टों के सुरक्षित भंडारण के लिए निदेश दे सकेगा, और ऐसा व्यक्ति ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा ।

7. परिसंकटमय अपशिष्ट का भंडारण - (1) प्रसुविधाओं का अधिष्ठाता, पुनःचक्रणकर्ता, पुनःप्रसंस्करणकर्ता या पुनःउपयोगकर्ता और प्रचालक नब्बे दिन से अनधिक अवधि के लिए परिसंकटमय अपशिष्टों का भंडारण कर सकेगा और ऐसे अपशिष्टों के विक्रय, अंतरण, भंडारण, पुनःचक्रण और पुनःप्रसंस्करण के अभिलेख रखेगा और ऐसे अभिलेखों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा :

परंतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, निम्नलिखित मामलों में उक्त अवधि को विस्तारित कर सकेगा, अर्थात् :-

- (i) प्रति वर्ष दस टन तक लघु उत्पादक ;
- (ii) ऐसे पुनःचक्रणकर्ता, पुनःप्रसंस्करणकर्ता और सुविधा प्रचालक को उनकी वार्षिक क्षमता के छः माह तक है ;
- (iii) ऐसे उत्पादक, जिनकी संबद्ध राज्य में अभिक्रियान्वयन, भंडारण, व्ययन प्रसुविधा तक पहुंच नहीं है ; या
- (iv) ऐसे अपशिष्ट जिसको उसके पुनःचक्रण, पुनःउपयोग की किसी प्रक्रिया के विकास के लिए विनिर्दिष्ट रूप से भंडारण किए जाने की आवश्यकता है ।

### अध्याय - 3

परिसंकटमय अपशिष्टों के पुनःचक्रण, पुनःप्रसंस्करण या पुनःउपयोग के लिए प्रक्रिया

8. रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने के लिए प्रक्रिया - (1) अनुसूची - 4 में विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्ट के पुनःचक्रण या पुनःप्रसंस्करण की वांछा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रत्येक की प्रति सहित प्ररूप 5 में रजिस्ट्रीकरण के अनुदान या नवीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा --

(क) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 25) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 21) के अधीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुदत्त स्थापना करने की सहमति ;

(ख) जिला उद्योग केन्द्र या इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ;

(ग) जिला उद्योग केन्द्र या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा जारी संयंत्र और मशीनरी की अधिष्ठापित क्षमता का सबूत ; और

(7) पुनःचक्रणकर्ता या पुनःप्रसंस्करणकर्ता क्रय किए गए और प्रसंस्कृत परिसंकटमय अपशिष्टों का अभिलेख रखेगा और प्ररूप - 6 में प्रत्येक वर्ष की 30 जून को या उससे पूर्व पूर्ववर्ती वर्ष के अपने कार्यकलापों की वार्षिक विवरणी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फाइल करेगा ।

9. पुनःचक्रण के लिए परिसंकटमय अपशिष्टों के विक्रय या अंतरण के लिए शर्तें - अनुसूची - 4 में विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्टों उत्पादन करने वाला का अधिष्ठाता केवल ऐसे पुनःचक्रणकर्ता को उसका

विक्रय कर सकेगा, जिसके पास पुनःचक्रण या पुनःप्राप्ति के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण है।

10. **पुनःचक्रण के लिए मानक** -- केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय-समय पर पुनःचक्रण प्रक्रियाओं के संबंध में निष्पादन के मानकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेंगे।

11. **परिसंकटमय अपशिष्टों का उपयोग** -- ईकाइयों द्वारा अनुपूरक स्रोत के रूप में या ऊर्जा पुनःप्राप्ति के लिए या प्रसंस्करण के पश्चात् परिसंकटमय अपशिष्टों का उपयोग केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जा सकेगा।

(घ) नवीकरण की दशा में, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबद्ध आंचलिक कार्यालय से यथा लागू परिसंकटमय अपशिष्ट के बहिःसाव, साव मानकों तथा अभिक्रियान्वयन और व्ययन के अनुपालन का प्रमाणपत्र।

(2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक पर्यावरणीय रूप से बेहतर प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहा है और उसके पास परिसंकटमय सामग्रियों के पुनःचक्रण, पुनःप्रसंस्करण या पुनःउपयोग के लिए पर्याप्त तकनीकी क्षमताएं, अपेक्षित सुविधाएं और उपस्कर हैं, ऐसे आवेदकों को केवल प्राधिकृत स्थान में ही सुरक्षित प्रचालन करने के लिए उसमें आवश्यक शर्तें अनुबंधित करते हुए रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त कर सकेगा।

(3) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रजिस्ट्रीकरण के लिए सभित्रपकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर आवेदन का निपटारा करेगा।

(4) उपनियम (2) के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण, उसके जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा, जब तक कि इकाई द्वारा उसका प्रचालन बंद नहीं कर दिया जाता है या रजिस्ट्रीकरण को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निलंबित या निरस्त नहीं कर दिया जाता है।

(5) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण को रद्द या निलंबित कर सकेगा, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि पुनःचक्रणकर्ता या पुनःप्रारंभकर्ता रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में से किसी को पूरा करने या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का अनुपालन करने में अराफल रहा है।

(6) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने या नवीकरण करने से इंकार कर सकेगा।

12 **परिसंकटमय अपशिष्टों का आयात और निर्यात (सीमा पार संचलन)**

पर्यावरण और वन मंत्रालय परिसंकटमय अपशिष्टों के सीमा पार संचलन संबंधी कार्रवाई करने और भारत के किसी भाग के माध्यम से परिसंकटमय अपशिष्टों के अभिवहन के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए नोडल मंत्रालय होगा।

13 **परिसंकटमय अपशिष्टों का आयात और निर्यात-**

(1) किसी देश से व्ययन के लिए भारत में परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) किसी देश से व्ययन के लिए भारत में परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात को केवल पुनर्चक्रण या पुनर्प्राप्ति या पुनःउपयोग के लिए अनुमति दी जाएगी।

(3) भारत से परिसंकटमय अपशिष्टों का निर्यात अपशिष्टों के किसी वास्तविक उपयोक्ता को या व्ययन प्रसुविधा के प्रचालक को आयात करने वाले देश की पूर्व सूचित सहमति से अनुज्ञात किया जा सकेगा, जिससे प्रश्नगत परिसंकटमय अपशिष्ट का पर्यावरणीय ठोस प्रबंध सुनिश्चित किया जा सके।

(4) अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात या निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14. **पुनर्चक्रण, पुनर्प्राप्ति और पुनःउपयोग के लिए परिसंकटमय अपशिष्टों का आयात या निर्यात-**

(1) अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्टों का आयात और निर्यात उक्त अनुसूची में अधिकथित शर्तों के अनुरार विनियमित किया जाएगा :

**(2) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए-**

(i) अनुसूची 3 के भाग क में विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात या निर्यात के लिए उस देश की पूर्व सूचित सहमति अपेक्षित होगी, जहां से वह आयात या निर्यात किया गया है और विदेशी व्यापार महानिदेशालय से अनुमति और केन्द्रीय सरकार की पूर्व लिखित अनुमति अपेक्षित होगी :

(ii) अनुसूची 3 के भाग ख में विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात के लिए उस देश की पूर्व सूचित सहमति अपेक्षित नहीं होगी, जहां से वह आयात किया जाता है ;

(iii) अनुसूची 3 के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट न किए गए, किन्तु उक्त अनुसूची के भाग ग में दी गई परिसंकटमय विशेषताओं वाले परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात या निर्यात के लिए, यथास्थिति, उसे भारत में आयात किए जाने या भारत से निर्यात किए जाने से पूर्व, केन्द्रीय सरकार की पूर्व लिखित अनुमति अपेक्षित होगी ।

**15. भारत से परिसंकटमय अपशिष्टों के निर्यात के लिए प्रक्रिया :-**

(1) अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्टों का निर्यात करने का आशय रखने वाला व्यक्ति पारेषण के लिए पूर्ण सुरक्षा बीमा पालिसी सहित प्ररूप 7 और प्ररूप 8 के आयात करने वाले देश की पूर्व सूचित सहमति के साथ परिसंकटमय अपशिष्टों के प्रस्तावित सीमा पार संचलन के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन करेगा ।

(2) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, केन्द्रीय सरकार, आवेदन प्रस्तुत करने का तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित निर्यात के संबंध में एक " अनापत्ति प्रमाणपत्र " दे सकेगी और ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी, जो वह आवश्यक समझे ।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपनियम (2) के अधीन दिए गए ' अनापत्ति प्रमाणपत्र ' की एक प्रति, निर्यात की शर्तों का, यदि कोई हों, अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संबंधित

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित पत्तन और सीमा शुल्क प्राधिकारियों को भेजेगी और अपशिष्ट की लदाई की सुरक्षित देखभाल के लिए समुचित उपाय करेगी।

- (4) निर्यातकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि आयात करने वाले देश से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त होने से पूर्व किसी पारेषण की लदाई न हो।
- (5) निर्यातकर्ता यह भी सुनिश्चित करेगा की लदाई के साथ प्ररूप 9 में संचलन दस्तावेज हों।
- (6) निर्यातकर्ता सीमा पार संचलन के पूरा होने पर पर्यावरण और वन मंत्रालय को सूचित करेगा।
- (7) परिसंकटमय अपशिष्टों का निर्यातकर्ता प्ररूप 10 में उराके द्वारा निर्यात किए गए परिसंकटमय अपशिष्टों का अभिलेख रखेगा और इस प्रकार रखा गया अभिलेख निरीक्षण के लिए उपलब्ध करेगा।

16. परिसंकटमय अपशिष्ट के आयात के लिए प्रक्रिया :

- (1) अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट परिसंकटमय अपशिष्टों के सीमा पार संचलन के लिए आयात या अभिवहन का आशय करने वाला कोई व्यक्ति प्रस्तावित आयात के लिए, जहां कहीं लागू हो, ऐसी पूर्व सूचित सहमति के साथ, जो भी लागू हो, प्ररूप 7 और प्ररूप 8 में केन्द्रीय सरकार को आवेदन करेगा और साथ ही आवेदन की एक प्रति संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजेगा जिससे वह तीस दिन की अवधि के भीतर पर्यावरण और वन मंत्रालय को अपनी टिप्पणियां और संप्रेक्षण, यदि कोई हो, भेजने में समर्थ हो सकेगा।
- (2) पूर्ण रूप में आवेदन प्राप्त करने पर पर्यावरण और वन मंत्रालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से प्राप्त टिप्पणियों और संप्रेक्षणों पर, यदि कोई हो, विचार करते हुए साठ दिन की अवधि के भीतर आयात के लिए अनुमति प्रदान कर सकेगा कि आयातकर्ता के पास :

- (i) पर्यावरण संबंधी ठोस पुनःचक्रण, पुनःप्राप्ति या पुनः उपयोग की प्रसुविधाएं हैं ;
- (ii) उपजनित अपशिष्टों के उपचार और व्ययन के लिए पर्याप्त सुविधाएं और व्यवस्था हैं ; और

(iii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विधिमान्य राजिस्ट्रीकरण हैं और यदि इन नियमों के अधीन अपेक्षित हो वास्तविक उपयोक्ता होने का सबूत है।

(3) पर्यावरण और वन मंत्रालय परिसंकटमय अपशिष्टों का आयात और सुरक्षित संभलाई की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, उपनियम (2) के अधीन दी गई अनुमति एक प्रति, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित पत्तन और सीमा शुल्क प्राधिकारियों का भेजेगा।

(4) पर्यावरण और वन मंत्रालय अनुमति की संसूचना आयातकर्ता को देगा।

(5) पत्तन और सीमा शुल्क प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि लदाई के साथ प्ररूप 9 में संचलन दस्तावेज और प्रश्नगत परिसंकटमय अपशिष्ट पारेषण का निर्यात करने वाले देश द्वारा प्राधिकृत किसी प्रयोगशाला की विश्लेषण की परीक्षा रिपोर्ट है।

(6) सीमा शुल्क प्राधिकारी इस बारे में किसी विवाद की दशा में यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या पारेषण आवेदन और संचलन दस्तावेज में की गई घोषणा के अनुरूप है या नहीं, विश्लेषण के लिए पारेषण के यदाकदा लिए गए तीन नमूने एकत्र करेगा (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिकथित उपबंधों के अनुसार पारेषण की निकासी करने से पूर्व) और दो वर्ष की अवधि के लिए रिपोर्ट को रखेगा।

(7) परिसंकटमय अपशिष्ट का आयातकर्ता प्ररूप 10 में उसके द्वारा आयात किए गए परिसंकटमय अपशिष्ट के अभिलेख रखेगा और इस प्रकार रखा गया अभिलेख निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।

(8) आयातकर्ता संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को परिसंकटमय अपशिष्ट के पहुंचने की तारीख और समय को दस दिन पूर्व सूचित भी करेगा।

17. अवैध दुर्यापार :

(1) भारत से और भारत में परिसंकट परिसंकटमय अपशिष्टों का निर्यात और आयात अवैध समझा जाएगा, यदि

- (i) यह इन नियमों के अनुसार केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा के बिना किया जाता है ; या
- (ii) अनुज्ञा मिथ्याकरण, दुरुपव्यपदेशन या कपट से अभिप्राप्त की गई है ; या
- (iii) यह राचल दस्तावेज में उपबंधित नौवहन ब्यौरों के अनुरूप नहीं है ; या
- (iv) उसके परिणामस्वरूप बेसल कन्वेंशन और अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय विधि के साधारण सिद्धांतों के उल्लंघन में परिसंकट अपशिष्टों का जानबूझकर व्ययन (अर्थात् पाटन) होता है ।

(2) परिसंकटमय अपशिष्टों के अवैध आयात की दशा में आयातकर्ता प्रश्नगत अपशिष्ट को भारत में इसके आगमन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर अपने खर्चे पर पुनः निर्यात करेगा और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा ।

अध्याय 5

18. परिसंकटमय अपशिष्टों के लिए अभिक्रियान्वयन भंडारण और व्ययन सुविधा :-

(1) राज्य सरकार अधिष्ठाता, सुविधा के प्रचालक या अधिष्ठाताओं का कोई संगम वैयक्तिक रूप से या संयुक्त रूप से या पृथक रूप से राज्य में परिसंकटमय अपशिष्टों के लिए अभिक्रियान्वयन भंडारण और व्ययन सुविधा के लिए सुविधा स्थापित करने हेतु स्थल पहचानने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) सामान्य सुविधा का प्रचालक या विमोहित सुविधा का अधिष्ठाता केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए तकनीकी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अभिक्रियान्वयन, भंडारण व्ययन सुविधा डिजाइन और स्थापित करेगा और इस



- संबंध में समय-समय पर डिजाइन और विन्यास के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करेगा।
- (3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियमित रूप से अभिक्रियान्वयन, भंडारण, और व्ययन सुविधाओं की स्थापना और प्रचालन को मानीटर करेगा।
  - (4) अभिक्रियान्वयन, भंडारण, और व्ययन सुविधा का प्रचालक समय समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अभिक्रियान्वयन, भंडारण व्ययन सुविधा और इसकी बंदी और बंदी पश्चात चरण के सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रचालन के लिए उत्तरदायी होगा।
  - (5) अभिक्रियान्वयन, भंडारण और व्ययन सुविधा का प्रचालक, उराके द्वारा संभाले जा रहे परिसंकटमय अपशिष्टों का प्रारूप 10 में अभिलेख रखेगा।

#### अध्याय -6

#### परिसंकटमय अपशिष्ट की पैकेजिंग, लेबल लगाना और परिवहन

#### 19. पैकेजिंग और लेबल लगाना :-

- (1) अभिक्रियान्वयन, भंडारण और व्ययन सुविधा अधिष्ठाता या प्रचालक या पुनः चक्रणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि परिसंकटमय अपशिष्ट संरचना के आधार पर उस रीति में जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सुरक्षापूर्ण हथालन, भंडारण और परिवहन के लिए उपयुक्त हैं, पैक की गई हैं और लेबल लगाया गया है।
- (2) लेबल लगाना और पैकेजिंग राहजदृश्य रूप में होगी भौतिक दशाओं तथा जलवायु कारकों के अनुसार होगी।

#### 20. परिसंकटमय अपशिष्ट का परिवहन :-

- (1) परिसंकटमय अपशिष्ट का परिवहन, इन नियमों और केन्द्रीय सरकार द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों और इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए अन्य मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।

- (2) अधिष्ठाता, परिवहनकर्ता को सामग्रियों की परिसंकटमय प्रकृति और आपातकाल की दशा में किए जाने वाले उपायों के संबंध में प्रारूप 11 में सुरांगत जानकारी उपलब्ध कराएगा और प्रारूप 12 के अनुसार परिसंकटमय अपशिष्ट आद्यानो को चिन्हित करेगा ।
- (3) उस समय से भिन्न, जहां परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न होती है किसी राज्य में अंतिम व्ययन के लिए परिसंकटमय अपशिष्ट का किसी अभिक्रियान्वयन, भंडारण और व्ययन सुविधा के लिए परिवहन किए गए जाने की दशा में अधिष्ठाता दोनों राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ' अनापत्ति प्रमाण पत्र ' अभिप्राप्त करेगा ।
- (4) उस राज्य से भिन्न, जो उद्गम या गन्तव्य के राज्य है, किसी राज्य से होकर परिसंकटमय अपशिष्टों के परिवहन की दशा में अधिष्ठाता परिवहनकर्ता को परिसंकटमय अपशिष्टों को सौंपने से पूर्व संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सूचित करेगा ।

21. माल सूची प्रणाली ( केवल देश के भीतर उपयोग किए जाने वाला संयलन दस्तावेज )

- (1) अधिष्ठाता प्रारूप 13 में नीचे उपदर्शित रंग कोड समाविष्ट करते हुए माल सूची की छह प्रतियां तैयार करेगा और सभी छह प्रतियां परिवहनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होंगी ।

रंग कोड सहित प्रति संख्या (1)	प्रयोजन (2)
प्रति 1 ( सफेद )	अधिष्ठाता द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति को अर्पणित की जाएगा
प्रति 2 ( पीली )	परिवहनकर्ता से इस पर हस्ताक्षर लेने के पश्चात् अधिष्ठाता द्वारा रखी जाएगी और शेष चार प्रतियां परिवहनकर्ता द्वारा ले जाई

	जाएगी
प्रति 3 (गुलाबी)	हस्ताक्षर के पश्चात् सुविधा प्रचालक द्वारा रख ली जाएगी
प्रति 4 (संतरी)	अपशिष्ट स्वीकार करने के पश्चात् सुविधा प्रचालक / पुनःचक्रणकर्ताओं द्वारा परिवहनकर्ता को वापस दे दी जाएगी।
प्रति 5 (हरी)	अपशिष्टों के अभिक्रियान्वयन और व्ययन के पश्चात् इसे सुविधा प्रचालक द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समिति को वापस दे दिया जाएगा
प्रति 6 (नीली)	परिसंकटमय सामग्रियों/ अपशिष्टों के अभिक्रियान्वयन और व्ययन के पश्चात् इसे सुविधा प्रचालक द्वारा अधिष्ठाता को वापस दे दिया जाएगा

(2) अधिष्ठाता, प्रति 1 (सफेद) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अग्रेषित करेगा और परिसंकटमय अपशिष्टों के किसी मार्गस्थ राज्य से परिवहन किए जाने की संभावना की दशा में अधिष्ठाता प्रत्येक ऐसे राज्य की सूचना के लिए प्रत्येक की अतिरिक्त प्रति तैयार करेगा और उसे परिवहनकर्ता को परिसंकटमय अपशिष्ट सुपुर्द किए जाने से पहले संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भेजेगा।

(3) कोई भी परिवहनकर्ता परिवहन के लिए किसी अधिष्ठाता से परिसंकटमय अपशिष्ट तब तक प्राप्त नहीं करेगा जब तक उसके साथ सूची की प्रति 3 से 6 न हो

(4) परिवहनकर्ता, तारीख सहित सम्यक रूप से हस्ताक्षरित सूची की प्रति 3 से 6 अपशिष्ट पारेषण के साथ सुविधा प्रचालक को प्रस्तुत करेगा

(5) सुविधा प्रचालक परिसंकटमय अपशिष्टों के अभिक्रियान्वयन और व्ययन संक्रियाओं के पूरा होने पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रति 5 (हरी) और अधिष्ठाता को प्रति 6 (नीली) भेजेगा तथा प्रति 3 (गुलाबी) सुविधा प्रचालक द्वारा रखी जाएगी।

**22. अभिलेख और विवरणियां :-**

(1) परिसंकटमय अपशिष्टों को उत्पन्न करने वाला अधिष्ठाता और परिसंकटमय अपशिष्ट के व्ययन की सुविधा का प्रचालक प्रारूप 3 में ऐरो प्रचालनों का अभिलेख रखेगा ।

(2) अधिष्ठाता और किराी सुविधा का प्रचालक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रारूप 4 में वार्षिक विवरणी भेजेगा ।

(3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपनी अधिकारिता के भीतर वाले परिसंकटमय अपशिष्टों की सूची तैयार करेगा और संबंधित अधिष्ठाता और सुविधा के प्रचालक द्वारा फाइल की गई विवरणियों के आधार पर परिसंकटमय अपशिष्टों के पुनःचक्रण और उनके अभिक्रियान्वयन और व्ययन जैसी अन्य सम्बद्ध रूचना संकलित करेगा ।

**23. प्राधिकारियों का उत्तरदायित्व :** अनुसूची 7 के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुसूची के स्तंभ 3 में यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करेगा ।

**24. दुर्घटना की रिपोर्ट करना और अनुवर्ती कार्रवाई :** जहां किसी सुविधा या परिसंकटमय अपशिष्ट के परिवहन के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो यथास्थिति, अधिष्ठाता या सुविधा प्रचालक अथवा परिवहनकर्ता प्रारूप 14 में दुर्घटना के बारे में तुरंत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट भेजेगा ।

**25. अधिष्ठाता, परिवहनकर्ता, सुविधा प्रचालक और आयातकर्ता के दायित्व :**

(1) अधिष्ठाता, आयातकर्ता, परिवहनकर्ता और सुविधा प्रचालक परिसंकटमय अपशिष्टों या अनुचित संभलाई या परिसंकटमय अपशिष्टों के व्ययन के कारण पर्यावरण या तीसरे पक्षकार को हुई सभी नुकसानियों के लिए दायी होंगे ।

(2) अधिष्ठाता और सुविधा प्रचालक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन नियमों के अधीन उपबंधों के किसी उल्लंघन के लिए उदग्रहीत की गई वित्तीय शारितियों का रांदाय करने के लिए दायी होंगे ।

## 26. अपील-

- (1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकार के निलंबन या रद्दकरण या नामंजूर किए जाने या उसके नवीकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से, जिसको उसे आदेश संरूचित किया गया हो तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य के पर्यावरण सचिव से अपील प्राधिकरण को प्रारूप 15 में अपील कर सकेगा ।
- (2) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पारित प्राधिकार के निलंबन या रद्दकरण या नामंजूर किए जाने या उसके नवीकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से, जिसको उसे आदेश से सूचित किया गया हो तीस दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 15 में पर्यावरण और वन मंत्रालय में सचिव, भारत सरकार से मिलकर बने अपील प्राधिकरण को अपील करेगा ।
- (3) अपील प्राधिकरण तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह रामाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से समय पर अपील फाइल करने से निवारित रहा था ।
- (4) इस नियम के अधीन फाइल की गई प्रत्येक अपील का निपटारा उसके फाइल किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर किया जाएगा ।

**अनुसूची -1**  
**[नियम 3 (1) देखें ]**

**परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली प्रक्रियाओं की सूची**

क्रम सं.	प्रक्रिया	परिसंकटमय अपशिष्ट *
1.	पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाएं और पाइरोलिटिक संक्रियाएं	1.1 फरनेस/रिएक्टर अवशेष और कचरा 1.2 टैरी अवशेष 1.3 ऑयली रलज पायस 1.4 कार्बनिक अवशेष 1.5 ईंधनों को क्षार से धोने पर बचा अवशेष 1.6 आसवन प्रक्रिया से स्टिल बॉटम 1.7 स्पेन्ट कैटालिस्ट और मॉलीब्डेनम सील्स 1.8 अपशिष्ट जल रो स्लोप ऑयल
2.	तेल और गैस उत्पादन के लिए ड्रिलिंग ऑपरेशन	2.1 तेल युक्त ड्रिल कटिंग्स 2.2 तेल युक्त रलज 2.3 ड्रिलिंग मड और अन्य ड्रिलिंग अपशिष्ट
3.	पोत वाहनों सहित पेट्रोलियम तेल भंडारण की टंकियों की सफाई, उन्हें खाली करना और उनका रख-रखाव	3.1 तेल युक्त कार्गो अवशेष, वाशिंग वॉटर और स्लज 3.2 केमिकल युक्त कार्गो अवशेष और स्लज 3.3 स्लज और तेल से संदूषित फिल्टर्स 3.4 पोत वाहनों से तेल युक्त बैलास्ट वॉटर
4.	प्रयुक्त तेल का पेट्रोलियम परिष्करण/उपयोग में लाये गए तेल का पुनः प्रसारण/अपशिष्ट तेल का पुनः चक्रण	4.1 तैलीय स्लज/पायस 4.2 स्पैट कैटालिस्ट 4.3 स्लाप तेल 4.4 प्रक्रिया से उत्पन्न कार्बनिक अवशेष 4.5 तेल युक्त स्पेन्ट क्ले
5.	हाइड्रोलिक सिस्टम अथवा अन्य अनुप्रयोगों में लुब्रीकेन्ट के रूप में मिनरल/सिन्थेटिक तेल का उपयोग करते हुए औद्योगिक प्रचालन	5.1 उपयुक्त/स्पेन्ट ऑयल 5.2 तेल युक्त अपशिष्ट/अवशेष
6.	जिंक का गौण उत्पादन और/अथवा औद्योगिक उपयोग	6.1 जिंक सल्फेट और अन्य जिंक संघटकों के उत्पादन के बाद उत्पन्न स्लज और फिल्टर प्रैस केक 6.2 जिंक फाईन्स/धूल कण/स्कीमिना (विक्षेपी रूप में) 6.3 जिंक भरम/स्कीमिना के प्रसंस्करण से उत्पन्न अन्य अवशेष 6.4 फ्लू गैस धूल कण और अन्य विविक्त कण

7.	अल्युमिनियम को छोड़कर जिंक/लेड/कॉपर और अन्य लोहेत्तर धातुओं का प्रारम्भिक उत्पादन	7.1 रोस्टिंग से उत्पन्न फ्लू गैस धूलकण 7.2 प्रोसेस अवशेष 7.3 आर्सेनिक युक्त स्लज 7.4 स्लज और अवशेष सहित नॉन फेरस धातु 7.5 मार्जक से स्लज
8.	कॉपर का गौण उत्पादन	8.1 स्पेन्ट इलेक्ट्रो लिटिक घोल 8.2 स्लजेस और फिल्टर केक्स 8.3 फ्लू गैस धूलकण और अन्य विविक्त कण
9.	लेड का गौण उत्पादन	9.1 लेड युक्त अवशेष 9.2 लेड एश/फ्लू गैस के विविक्त कण
10.	कैडमियम और आर्सेनिक और उनके संघटकों का उत्पादन और/अथवा औद्योगिक उपयोग	10.1 कैडमियम और आर्सेनिक युक्त अवशेष
11.	प्रारम्भिक और गौण अल्युमिनियम का उत्पादन	11.1 ऑफ गैस अभिक्रिया से स्लज 11.2 पॉट लाईनिंग अपशिष्ट सहित कैथोड अवशिष्ट 11.3 अपशिष्ट युक्त तार 11.4 फ्लू गैस धूल कण और अन्य विविक्त कण 11.5 साल्ट स्लैग्स और ब्लैक ड्रासेज के शोधन से उत्पन्न अपशिष्ट
12.	धातु सतह अभिक्रिया जैसे कि इचिंग, स्टेनिंग, पॉलिश करना, गेल्वाई नाईजिंग, सफाई करना, ग्रीस हटाना, प्लेटिंग आदि	12.1 अम्ल अवशेष 12.2 क्षार अवशेष 12.3 सल्फाईड, रायनाईड और विषैले धातुओं से युक्त स्पेन्ट बाथ/स्लज 12.4 कार्बनिक विलायकों से युक्त बाथ से उत्पन्न स्लज 12.5 फास्फेट स्लज 12.6 स्टेनिंग बाथ से स्लज 12.7 ताम्बा निक्षारण अवशेष 12.8 प्लेटिंग मेटल स्लज
13.	अन्य लोहेत्तर एलॉय सहित आयरन और इस्पात का उत्पादन (इलेक्ट्रिक फरनेस, स्टिल रोलिंग और फिनिशिंग मिल्स, कोक ऑवन और उत्पाद संयंत्र द्वारा)	13.1 अम्ल रिकवरी इकाई से स्लज 13.2 बेनजोल अम्ल स्लज 13.3 डिसेन्टर टंकी तार स्लज 13.4 तार भंडारण की टंकी का अवशेष
14.	हार्डनिंग ऑफ स्टील	14.1 सायनाइड - नाइट्रेट या नाइट्राईट युक्त स्लज 14.2 स्पेन्ट हार्डनिंग साल्ट

15.	एस्बेस्टस या एस्बेस्टरा युक्त पदार्थों का उत्पादन	15.1 एस्बेस्टस युक्त अवशेष 15.2 डिसकार्डेड एस्बेस्टस 15.3 गैस निकासी शोधन से उत्पन्न धूल कण/विविक्त कण
16.	कार्बिक सोडा और क्लोरीन का उत्पादन	16.1 मर्करीधारक स्लज 16.2 अवशेष/स्लज और फिल्टर केक्स 16.3 ब्राईन स्लज युक्त मरकरी
17.	खनिज अम्लों का उत्पादन	17.1 अवशेष, धूल कण अथवा फिल्टर केक्स 17.2 स्पेन्ट कैटालिस्ट
18.	नाइट्रोजेनस और कॉम्प्लेक्स उर्वरकों का उत्पादन	18.1 रपैन्ट उत्प्रेक्षक 18.2 रपैन्ट कार्बन 18.3 आर्सेनिक युक्त स्लज/अवशेष 18.4 वॉटर कूलिंग टावर से क्रोमियम स्लज
19.	फोनोल का उत्पादन	19.1 फोनोल युक्त अवशेष/स्लज
20.	विलायकों का उत्पादन अथवा औद्योगिक उपयोग	20.1 संदूषित एरोमेटिक, एलिफेटिक अथवा नेफटेनिक विलायकों से युक्त विलायक जो पुनः उपयोग के लिए उपयुक्त हो या न हो 20.2 स्पैन्ट विलायक 20.3 आरावन अवशेष
21.	पेंट, रंजक, लेकर्स, वॉनिश, प्लास्टिकों और स्याही का उत्पादन और/अथवा औद्योगिक उपयोग	21.1 अपशिष्ट, अवशेष और स्लज प्रक्रिया 21.2 फिल्टर अवशेष
22.	प्लास्टिक की कच्ची सामग्री का उत्पादन	22.1 प्लास्टिक विनिर्माण में उपयोग में लाए संयोज्यों का अवशेष जैसे ड्राईस्टफ, स्टेबलाइजर्स, फ्लेम रिटार्डेन्ट्स आदि। 22.2 प्लास्टिसाइजर्स का अवशेष और अपशिष्ट 22.3 विनायलक्लोराईड मोनोमर उत्पादन का अवशेष 22.4 एक्रिलोनीट्राईल उत्पादन का अवशेष 22.5 नॉन-पॉलीमेराइज्ड अवशेष
23.	सरेस, सीमेंट, आसंजक और रेजिन का उत्पादन और/अथवा औद्योगिक उपयोग	23.1 अपशिष्ट/अवशेष (जो वनस्पति या जीव जन्तु सामग्री से न बना हो)
24.	केनवस और कपड़े का उत्पादन	24.1 रसायनिक अवशेष
25.	काष्ठ परिरक्षियों का औद्योगिक उत्पादन और निरूपण	25.1 रसायनिक अवशेष 25.2 काष्ठ क्षार स्नान का अवशेष
26.	कृत्रिम रंजकों, मध्यवर्ती रंजकों और रंगों का उत्पादन अथवा औद्योगिक उपयोग	26.1 प्रक्रिया अपशिष्ट स्लज/अम्ल युक्त अवशेष अथवा अन्य विषैली धातुओं अथवा कार्बन कॉम्प्लेक्सेज 26.2 वायु फिल्टरेशन तंत्र से धूल कण
27.	ऑरगेनो - सिलीकोन संघटक	27.1 प्रक्रिया अवशेष



28.	औषधी/फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य परिचर्या का उत्पादन/निरूपण	28.1 प्रक्रिया अवशेष और अपशिष्ट 28.2 स्पेन्ट कैटालिस्ट/स्पेन्ट कार्बन 28.3 ऑफ स्पेरीफिकेशन उत्पाद 28.4 जिनकी तिथि बीत चुकी है, डिस्कार्डेड और ऑफ स्पेरीफिकेशन इंस/औषधियां 28.5 स्पेन्ट कार्बनिक विलायक
29.	रटाक - पाईल्स सहित कीटनाशकों का उत्पादन और निरूपण	29.1 प्रक्रिया अपशिष्ट/अवशेष 29.2 कीटनाशक अवशेष युक्त रसायनिक स्लज 29.3 जिनकी तिथि बीत चुकी है और ऑफ-स्पेरीफिकेशन कीटनाशक
30.	चर्मशोधन	30.1 अवशेष और स्लज युक्त क्रोमियम
31.	इलेक्ट्रॉनिक उद्योग	31.1 प्रक्रिया अवशेष और अपशिष्ट 31.2 स्पेन्ट एचिंग रसायनिक और विलायक
32.	लुगदी और कागज उद्योग	32.1 स्पेन्ट रसायनिक 32.2 तेज अम्ल और क्षार के उपयोग से उत्पन्न रांक्षारक अपशिष्ट 32.3 घुलनशील कार्बनिक हेलाईट्रा (ए ओ एक्स) युक्त प्रक्रिया स्लज
33.	परिसंकटमय अपशिष्टों/रसायनिकों के हथालन के लिए उपयुक्त बेरेल्स/कन्टेनरों का निपटान	33.1 विसंदूषण से उत्पन्न रसायन युक्त अवशेष 33.2 बैरेलो/कन्टेनरों की सफाई/निपटान से उत्पन्न अपशिष्ट जल के शोधन से स्लज 33.3 परिसंकटमय अपशिष्टों/रसायनिकों से संदूषित डिस्कार्डेड कन्टेनर/बेरेल/लाईनर
34.	इस अनुसूची में प्रक्रियाओं से निकास हुए वायु, जल और अपशिष्ट जल का शुद्धीकरण और शोधन और साझा औद्योगिक बहिःस्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपी)	34.1 फ्लू गैस क्लीनिंग अवशेष 34.2 विषैली धातु युक्त स्पेन्ट आयन एक्साचेन्ज रेसिन 34.3 अपशिष्ट जल के शोधन से उत्पन्न रसायनिक स्लज 34.4 ऑयल और ग्रीस रिक्विंग अवशेष 34.5 कूलिंग जल से क्रोमियम स्लज
35.	कार्बनिक संघटकों/विलायकों के लिए शुद्धीकरण प्रक्रिया	35.1 फिल्टर्स और फिल्टर सामग्री जिनमें कार्बनिक द्रव्य है जैसे खनिज तेल, कृत्रिम तेल और कार्बनिक क्लोरिन संघटक 35.2 स्पेन्ट कैटालिस्ट 35.3 स्पेन्ट कार्बन
36.	परिसंकटमय अपशिष्ट पदार्थों की शोधन प्रक्रियाएं, उदाहरणार्थ भस्मीकरण आसवन, वियोजन और सांद्रण तकनीकें	36.1 वेट् स्क्रबर्स से स्लज 36.2 परिसंकटमय अपशिष्टों, फ्लू गैस क्लीनिंग अवशेष के भस्मीकरण से उत्पन्न राख 36.3 बैटरियों से स्पेन्ट अम्ल 36.4 संदूषित कार्बनिक विलायकों से आसवन अवशेष

- \* इस अनुसूची में अन्तर्विष्ट अपशिष्ट पदार्थों को शामिल करना, अनुसूची 2 के उपयोग को यह दर्शाने के लिए प्रवारित नहीं करता है कि अपशिष्ट पदार्थ परिसंकटमय हैं। विवाद के मामले में, यह मामला पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा गठित की गई तकनीकी पुनर्विलोकन समिति को भेजा जायेगा।

**टिप्पण :** परिसंकटमय अपशिष्ट पदार्थों के प्रवर्ग से उच्च मात्रा कम प्रभाव वाले अपशिष्ट पदार्थ जैसे फ्लाई ऐश, फॉराफोजिप्सम, रेड मड, पायरोमेटलर्जिकल प्रचालनों से स्लैग्स, माईन टेलिंग्स और ओर बेनिफिसियेशन रिजेक्ट्रा से हटाया गया है। इन अपशिष्टों के प्रबंधन के संबंध में पृथक से दिशानिर्देश मार्गदर्शक सिद्धांत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए जाएंगे।

## अनुसूची -2 [नियम 3 (1) देखें ]

### सांद्रता सीमा सहित परिसंकटमय पदार्थों की सूची \*

वर्ग क

सांद्रण सीमा : 50 मि.ग्रा./कि.ग्रा.

- |      |  |
|------|--|
| क 1  | सुरमा और सुरमा संघटक   |
| क 2  | आर्सेनिक और आर्सेनिक घटक   |
| क 3  | बेरिलियम और बेरिलियम संघटक   |
| क 4  | केडमियम और केडेमियम संघटक  |
| क 5  | क्रोमियम (VI) संघटक  |
| क 6  | पारा और पारा संघटक   |
| क 7  | सेलेनियम और सेलेनियम संघटक   |
| क 8  | टैल्यूरियम और टैल्यूरियम संघटक   |
| क 9  | थेलियम और थेलियम संघटक   |
| क 10 | अकार्बनिक सायनायड संघटक  |
| क 11 | धातु कार्बोनिल   |
| क 12 | नेथालिन  |
| क 13 | एन्थासिन   |
| क 14 | फीनानथीन   |
| क 15 | क्राइसिन बेन्जो (ए) एन्थासिन, फ्लूरेन्थिन बेन्जो (ए) पायरिन, बेन्जो (के) फ्लूरेन्थिन, इन्डेनो (1-2-3-सीडी) पायरिन और बेन्जो (जीएचआई) पेरिलीन |
| क 16 | एरोमैटिक रिंग के हैलोजिनेटिड घटक जैसे पोलिक्लोरिनेटिड बाईफिनाइलस, पोलिक्लोरोटिरफिनाइलस और उनके व्युत्पन्न                                    |
| क 17 | हेलोजनित एरोमैटिक संघटक  |

- क 18 बेन्जीन  
क 19 आर्गेनो-क्लोरिन पेस्टीसाइडस  
क 20 आर्गेनो-टिन रांघटक

वर्ग ख

सांद्रण सीमा : 5, 000 मि.ग्रा./कि.ग्रा.

- ख 1 क्रोमियम (iii) रांघटक  
ख 2 कोबाल्ट रांघटक  
ख 3 ताम्र रांघटक  
ख 4 सीसा और सीसा रांघटक  
ख 5 मोलिब्डेनम रांघटक  
ख 6 निकिल रांघटक  
ख 7 अकार्बनिक टिन रांघटक  
ख 8 वेनेडियम रांघटक  
ख 9 टंगस्टन रांघटक  
ख 10 रित्त्वर रांघटक  
ख 11 हैलोजिनेटिड एलीफटिक रांघटक  
ख 12 ओरगेनो फास्फोरस रांघटक  
ख 13 कार्बनिक पेरोक्साइड  
ख 14 कार्बनिक नाइट्रो और नाइट्रोसो रांघटक  
ख 15 कार्बनिक एजो और एजोक्सी रांघटक  
ख 16 नाइट्रिल्स  
ख 17 एमाईन्स  
ख 18 (आइसो और थाओ) साइनेटस  
ख 19 फिनाँल और फिनोलिक रांघटक  
ख 20 मर्केप्टन्स  
ख 21 ऐजबेस्टस  
ख 22 हेलोजन-सायलेन्स  
ख 23 हाईड्राजाईन (एस)  
ख 24 फ्लोरीन  
ख 25 क्लोरीन  
ख 26 ब्रोमाईन  
ख 27 सफेद और लाल फास्फोरस  
ख 28 फैरो-सिलिकेट और एलॉय  
ख 29 मैंगनीज सिलिकेट  
ख 30 हैलोजनयुक्त ऐरो पदार्थ जो, नमवायु या जल के सम्पर्क में आने से अम्लीय वाष्प उदाहरणार्थ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, एल्युमीनियम क्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड उत्पन्न करते हैं ।

वर्ग ग

सांद्रण सीमा : 20, 000 मि.ग्रा./कि.ग्रा.

ग 1	अमोनिया और अमोनियम संघटक
ग 2	अकार्बनिक पैराक्साइड
ग 3	बेरियम रास्फेट को छोड़कर, बेरियम संघटक
ग 4	फ्लूराइन संघटक
ग 5	एल्युमिनियम, कैल्शियम और आयरन फास्फेटों को छोड़कर फास्फेट संघटक
ग 6	ब्रोमेट्स, (हाइपो-क्लोराईट)
ग 7	क्लोरेट्स, (हाइपो-क्लोराईट)
ग 8	ए 12 से ए 18 के अंतर्गत सूचीबद्ध को छोड़कर अन्य एरोमैटिक संघटक
ग 9	कार्बनिक सिलिकॉन संघटक
ग 10	कार्बनिक रास्फर संघटक
ग 11	आयोडेट्स
ग 12	नाईट्रेट्स, नाइट्राईट्स
ग 13	सल्फाईड्स
ग 14	जिंक संघटक
ग 15	पर-एरिड लवण
ग 16	एसिड एमाइड्स
ग 17	एरिड एन्हाइड्राईड्स

वर्ग घ

सांद्रण सीमा : 50, 000 मि.ग्रा./कि.ग्रा.

घ 1	कुल रास्फर
घ 2	अकार्बनिक अम्ल
घ 3	धातु हाइड्रोजन सल्फेट
घ 4	ऐसे हाइड्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन, एल्युमिनियम, टाईटेनियम, मैंगनीज, मैंगनीशियम, कैल्शियम को छोड़कर आक्साइड और हाइड्रोक्साइड
घ 5	ए 12 से ए 18 में सूचीबद्ध को छोड़कर अन्य सभी कुल हाइड्रोकार्बन
घ 6	कार्बनिक आक्सीजन संघटक
घ 7	नाइट्रोजन के रूप में उल्लिखित कार्बनिक नाइट्रोजन संघटक
घ 8	नाईट्राईड्स
घ 9	हाईड्राईड्स

वर्ग ड.

कोई सांद्रण सीमा नहीं, यदि अपशिष्ट निम्नलिखित में से कोई भी लक्षण दर्शाता है तो परिरांकटमय अपशिष्टों के रूप में वर्गीकृत।

- इ. 1 ज्वलनशील पदार्थ  
65.6 डिग्री सेल्सियस अथवा इससे कम फ्लैश बिन्दु पर ज्वलनशील अपशिष्ट
- इ. 2 विस्फोटक  
वे अपशिष्ट जो लौ, ताप के प्रभाव या फोटोकेमिकल स्थितियों के अधीन विस्फोट कर सकते हैं। भारतीय विस्फोटक अधिनियम में सम्मिलित विस्फोटक सामग्रियों के कोई अन्य अपशिष्ट
- इ. 3 संक्षारक  
वे अपशिष्ट जो रासायनिक क्रिया द्वारा संक्षारक हो सकेगा, जो जीवित ऊतकों के संपर्क में आने पर उन्हें गंभीर क्षति पहुंचाएंगे।
- इ. 4 टॉक्सिक  
अपशिष्ट जो स्थापित विषैले और अथवा ईको टॉक्सिक संघटकों से संदूषित है अथवा उनमें समाहित हैं।
- इ. 5 कार्सिनोजेनिसिटी, म्यूटाजेनिसिटी और इन्डोक्राईन डिस्प्टर्स  
वे अपशिष्ट जो स्थापित कार्सिनोजेन्स, म्यूटाजेन्स और इन्डोक्राईन डिस्प्टर्स से संदूषित अथवा युक्त हैं।

\* इस सूची में दिए गए अपशिष्ट घटक और उनकी सांद्रण सीमाएं 'परिसंकटमय पदार्थों की पूर्ववर्ती बी ए जी ए सूची' (नीदरलैंड्स पर्यावरण संरक्षण अभिकरण) की सूची पर आधारित हैं। यह विनिश्चित करने के लिए कि ऊपर सूचीबद्ध विनिर्दिष्ट अपशिष्ट परिसंकटमय है या नहीं निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाना चाहिए :

- (i) यदि अपशिष्ट का कोई घटक ऊपर सूचीबद्ध पांच जोखिम का श्रेणियों (क, ख, ग, घ और इ) में से किसी एक में आता हो और घटक का सांद्रण, सुसंगत जोखिम वर्ग की सीमा के बराबर या उससे अधिक हो, तो उस पदार्थ को परिसंकटमय अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- (ii) यदि अपशिष्ट में परिसंकटमय घटकवाला कोई रासायनिक मिश्रण है तो उसकी सांद्रण सीमा मिश्रण पर लागू नहीं होती है बल्कि केवल परिसंकटमय घटक पर ही लागू होती है।
- (iii) यदि अपशिष्ट में उसी वर्गों में आने वाले कई परिसंकटमय घटक मौजूद हों तो सांद्रण एक साथ मिलाने जाएंगे।
- (iv) यदि अपशिष्ट में विभिन्न वर्गों के आने वाले कई परिसंकटमय घटक पदार्थ मौजूद हों, तो घटक (घटकों की तत्स्थानी न्यूनतम सांद्रण) सीमा लागू होती है।
- (v) अपशिष्टों में परिसंकटमय घटकों के सांद्रण के अवधारण के लिए ए एस टी एम - डी 5233-92 के अनुसार "टाक्सिटी करेक्टरिस्टिक्स लीचिंग प्रक्रिया" (टी सी एल पी) अपनायी जानी चाहिए।

## अनुसूची 3

(नियम 3 (1), नियम 14 (1), नियम 14 (2), (i),(iii) और नियम 15 (1) देखें )

(भाग क)

भाग क : पूर्व सूचित स्वीकृति सहित आयात के लिए अनुप्रयुक्त परिसंकटमय पदार्थों की सूची  
(बेसल कन्वेंशन का उपाबंध VIII \* )

बेसल सं०	परिसंकटमय अपशिष्ट का वर्णन
क 1	धातु और अपशिष्ट युक्त धातु
क 1010	धातु अपशिष्ट और वे अपशिष्ट जिसमें निम्नलिखित किसी भी धातु के एलाय हों -एंटीमनी -कैडमियम -टेल्यूरियम -सीसा
क 1020	अपशिष्ट जिनमें संघटक या संदूषक हैं, स्थूल रूप में धातु अपशिष्टों को छोड़कर जो ख 1020 में सूचीबद्ध हैं, निम्नलिखित में से कोई -कैडमियम, कैडमियम यौगिक -एंटीमनी, एंटीमनी यौगिक -टेल्यूरियम, टेल्यूरियम यौगिक -सीसा, सीसा यौगिक
क 1040	अपशिष्ट जिनमें धातु कार्बोनाइल संघटक हो
क 1050	गैल्वेनिक स्लज
क 1060	धातुओं के अम्लोपचार से उत्पन्न अपशिष्ट लिक्वर
क 1070	जस्ता प्रसंस्करण, धूल और अपक से निष्कालित अवशेष अर्थात् जेरोसाईट, हेमेटाईट आदि
क 1080	सांद्रणों में सीसा और कैडमियम वाली सूची ख में सम्मिलित न किए गए अपशिष्ट जिंक अवशेष अनुसूची-3 के भाग ग में उपदर्शित परिसंकटमय लक्षण संप्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त हैं।
क 1090	विद्युतरोधी तांबे की तारों के भस्मीकरण से प्राप्त भष्म
क 1100	तांबा प्रगालक की गैस शोधन प्रणाली से प्राप्त धूल और अवशेष
क 1110	तांबा विद्युत परिष्करण और विद्युत प्राषण संक्रियाओं से मुक्त शेष विद्युत-अपघटनी विलयन
क 1120	तांबा विद्युत परिष्करण और विद्युत प्राषण की संक्रियाओं में से विद्युत अपघटनी शोधन प्रणाली के एनोड अवपंक को छोड़कर अपशिष्ट स्लज
क 1130	मुक्त शेष निष्कारण उत्कीर्णन विलयन जिसमें घुलनशील तांबा हो
क 1150	मुद्रित परिपथों के भस्मीकरण से उत्पन्न मूल्यवान धातु भष्म जो सूची ख के अंतर्गत न हो
क 1160	अपशिष्ट धातुओं के अम्ल मार्जन का अपशिष्ट द्रव्य
क 1170	बिन छटी पुरानी बैटरियों का सम्मिश्रण जो सूची ख बैटरियों में शामिल नहीं हैं।
क 1180	विद्युत अपशिष्ट और इलेक्ट्रॉनिक समन्वायोजन या उच्छिष्ट घटक जिसमें संचालक सेल और अन्य बैटरियां, जो सूची क के अंतर्गत हों, मर्करीस्विच, कैथोड किरण नालिका का कांच और अन्य सक्रियकृत कांच या पीसीबी-संधारित्र या संदूषणों की अनुसूची 2 के संघटक (उदाहरणार्थ कैडमियम, पारा, सीसा, पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाईल) संघटक उस सीमा तक जो कि इस अनुसूची के भाग ग में दिए गए परिसंकट लक्षण प्रदर्शित करती है। (ख 1110 देखें)
क 2	मुख्यतः अकार्बनिक संघटकों वाले अपशिष्ट जिसमें धातु और कार्बनिक पदार्थ अंतर्विष्ट हों
क 2010	कैथोड किरण नालिकाएं और अन्य सक्रियकृत कांच से सक्रियकृत कांच के टुकड़े

क 2030	कैटालिस्ट अपशिष्ट किन्तु अनुसूची 3 की सूची ख में विनिर्दिष्ट ऐसे अपशिष्टों को छोड़कर
क 3	मुख्यता कार्बनिक संघटकों वाले अपशिष्ट, जिनमें धातु और अकार्बनिक सामग्री हों
क 3010	पेट्रोलियम कोक और बिटुमैन के उत्पादन या प्रसंस्करण से उत्पन्न अपशिष्ट
क 3020	अपशिष्ट खनिज तेल जो उनके मूल रूप में आशयित उपयोग के लिए अनुपयुक्त हों
क 3050	रेसिन लेटेक्स, प्लास्टिसिजस और सरेश/आसजकों के उत्पादन, संरूपण एवं उपयोग से उत्पन्न ऐसे अपशिष्ट, सूची ख में विनिर्दिष्ट ऐसे अपशिष्टों को छोड़कर (ख 4020)
क 3070	द्रव या अवपंक के रूप में क्लोरोफिनोल सहित अपशिष्ट फिनोल, फिनोल यौगिक
क 3080	अपशिष्ट ईथर जिसके अंतर्गत वह नहीं है जो सूची ख में विनिर्दिष्ट है।
क 3120	परिफल्ल: कतरन हल्का प्रभाज
क 3130	अपशिष्ट कार्बनिक फासफोरस यौगिक
क 3140	अपशिष्ट अहैलोजनीकृत कार्बनिक विलायक किन्तु उन अपशिष्टों को छोड़कर जो सूची ख में विनिर्दिष्ट है
क 3160	अपशिष्ट हैलोजनीकृत या अहैलोजनीकृत निजला आसवन अवशेष जो कार्बनिक विलायक पुनः प्राप्ति की संक्रिया से उत्पन्न हो
क 3170	एलीफैटिक हैलोजनीकृत हाइड्रोकार्बन के उत्पादन से उत्पन्न अपशिष्ट (जैसे क्लोरोमिथेन, हाइक्लोरोईथेन, बिनाइल क्लोराइड, विनिलीडीन क्लोराइड, एलिल क्लोराइड और एपिक्लोरहाइड्रिन)
क 4	ऐसे अपशिष्ट जिनमें या तो अकार्बनिक या कार्बनिक संघटक हों।
क 4010	भेषज उत्पादों के उत्पादन और निर्मित तथा उपयोग से उत्पन्न अपशिष्ट किन्तु उन अपशिष्टों को छोड़कर जो सूची ख में विनिर्दिष्ट है।
क 4040	काष्ठ संरक्षी रसायन के विनिर्माण संरूपण और उपयोग से उत्पन्न अपशिष्ट
क 4070	स्याही, रंजक, वणक, आसव, प्रलाक्षा वर्निश के उत्पादन, संरूपण और उपयोग से उत्पन्न अपशिष्ट सूची ख में विनिर्दिष्ट को छोड़कर (4010)
क 4080	विस्फोटक की प्रवृत्ति के अपशिष्ट सूची ख में विनिर्दिष्ट अपशिष्टों को छोड़कर
क 4090	अम्लीय या बेसिक विलयन अपशिष्ट सूची ख में विनिर्दिष्ट को छोड़कर (ख 2120)
क 4100	औद्योगिक बहिर्गस के शोधन के लिए औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों से प्राप्त अपशिष्ट ऐसे अपशिष्टों को छोड़कर जो सूची ख में विनिर्दिष्ट हैं
क 4120	वे अपशिष्ट जिनमें उससे मिल सकता है या उससे संदूषित है में परआक्साइड अपशिष्ट हों,
क 4130	ऐसे अपशिष्ट पैकेज और आद्यान, जिनमें अनुसूची 2 में उल्लिखित कोई भी संघटक, उसमें विनिर्दिष्ट सांद्रण सीमाओं तक हो।
क 4140	ऐसे अपशिष्ट, जो अनुसूची 2 में उल्लिखित किसी भी संघटक वाले विनिर्देशयता गतावधि रसायनों से उसमें विनिर्दिष्ट सांद्रण सीमाओं तक मिल कर बना है या उसमें है।
क 4150	अनुसंधान और विकास या अध्यापन कार्यकलापों से उत्पन्न अपशिष्ट रसायन पदार्थ जिनकी पहचान नहीं की गई है और/या नष्ट हो और उनके मानव स्वास्थ्य और/या पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव ज्ञात न हो
क 4160	मुक्तशेष संक्रियत कार्बन जो सूची ख में शामिल नहीं है (ख 2060)

यह सूची परिसंकटमय अपशिष्ट के सीमा पार संचलन पर बेसल कन्वेंशन के उपाबंध VII। पर आधारित है तथा इसमें कन्वेंशन के अनुच्छेद 1, पैरा 1 (क) के अधीन परिसंकटमय के रूप में माने गए अपशिष्ट समाविष्ट हैं। इस सूची में अपशिष्टों को सम्मिलित किया जाना यह प्रदर्शित करने के लिए कि बेसल कन्वेंशन का उपाबंध 8 (इस अनुसूची का भाग ग) में दिए गए परिसंकटमय लक्षणों के उपयोग से नहीं

रोकता है, कि अपशिष्ट परिसंकटमय नहीं है। अनुसूची - 3 (भाग-क) में सूचीबद्ध कुछ अपशिष्ट प्रवर्गों को आयात हेतु प्रतिषिद्ध किया गया है। अनुसूची - 3 (भाग-क) में परिसंकटमय अपशिष्ट निर्बन्धित हैं तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनुमति तथा डी जी एफ टी लाईसेंस के बिना उनका आयात किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती।

भाग ख

आयात और निर्यात के लिए लागू होने वाली परिसंकटमय अपशिष्टों की सूची, जिनके लिए पूर्व सूचित सहमति अपेक्षित नहीं है।

[ बेसल कन्वेंशन का उपाबंध 9\* ]

बेसल सं०	अपशिष्टों का वर्णन
ख 1	धातु और धातुयुक्त अपशिष्ट
ख 1010	गैर-परिक्षेपण रूप में धातु एवं धात्विक में धातु - एलॉय अपशिष्ट <ul style="list-style-type: none"> <li>- बहुमूल्य धातु (सोना, चाँदी, प्लेटिनम)**</li> <li>- लोहा और स्टील स्क्रैप**</li> <li>- निकिल स्क्रैप**</li> <li>- एल्यूमिनियम स्क्रैप**</li> <li>- जिंक स्क्रैप**</li> <li>- टिन स्क्रैप**</li> <li>- टंगस्टन स्क्रैप**</li> <li>- मॉलिब्डेनम स्क्रैप**</li> <li>- टैंटालम स्क्रैप**</li> <li>- कोबाल्ट स्क्रैप**</li> <li>- बिस्मथ स्क्रैप**</li> <li>- टाईटैनियम स्क्रैप**</li> <li>- जरक्रोनियम स्क्रैप**</li> <li>- मैंगनीज स्क्रैप**</li> <li>- जरमेनियम स्क्रैप**</li> <li>- वेनेडियम स्क्रैप**</li> <li>- हाफनियम स्क्रैप**</li> <li>- इन्डीयम स्क्रैप**</li> <li>- नियोबियम स्क्रैप**</li> <li>- रेनियम स्क्रैप**</li> <li>- गेलियम स्क्रैप**</li> <li>- मैग्नीशियम स्क्रैप**</li> <li>- तांबा स्क्रैप**</li> <li>- थोरियम स्क्रैप**</li> <li>- रेयर अर्थ स्क्रैप**</li> <li>- क्रोमियम स्क्रैप**</li> </ul>
ख 1020	शोधित, असंदूषित धातु उच्छिष्ट जिसमें मिश्रधातु भी हैं, विपुल आयतन में परिरकृत रूप में (चादर, स्थान दंडों, छड़ आदि) : <ul style="list-style-type: none"> <li>- एंटीमनी स्क्रैप****</li> <li>- केडमियम स्क्रैप</li> <li>- सीसा स्क्रैप (सीसा अम्ल बैटरियों को छोड़कर)</li> <li>- टेलयूरियम स्क्रैप ****</li> </ul>



ख 1030	अपशिष्ट निहित अपवर्तक धातुएं ****
ख 1031	धात्विक परिक्षेपण रूप (धातु चूर्ण) में मोलिब्डेनम, टंगस्टन, टिटैनियम, टैटालूम, नियोबियम एवं र्हेनियम धातु और मिश्र धातु अपशिष्ट, सूची क के अंतर्गत प्रविष्टि क 1050 में विनिर्दिष्ट ऐसे अपशिष्टों को छोड़कर, गाल्वनिक स्क्रैप ****
ख 1040	विद्युतशक्ति उत्पादन के जो समंजक स्क्रैप जिसमें स्नेहक तेल, पीसीबी या पीसीटी से उस सीमा तक ।
ख 1050	मिश्र अलौह धातु हवी प्रैक्शन स्क्रैप संदूषित नहीं है जो उन्हें परिसंकटमय बनाती है जिसमें ऐसे पदार्थ नहीं हैं, जिसमें अनुसूची 2 में वर्णित कोई भी संघटक उसमें विनिर्दिष्ट सांद्रण के सीमाओं तक नहीं है ।**
ख 1060	पाउडर सहित धात्विक एलिमेंटल रूप में अपशिष्ट सिलिनियम और टेल्यूरियम****
ख 1070	ताम्र और ताम्र मिश्र धातुओं का अपशिष्ट विक्षेपित रूप में जब तक कि उनमें अनुसूची 2 में उल्लिखित कोई संघटक उसमें विनिर्दिष्ट सांद्रण सीमाओं तक अंतर्विष्ट न हो ।***
ख 1080	जिंक भस्म और अपशिष्ट जिसमें मिश्र अपशिष्ट विक्षेपित रूप में हो जब तक कि उनमें अनुसूची 2 में उल्लिखित कोई संघटक उसमें विनिर्दिष्ट सांद्रण सीमाओं तक अंतर्विष्ट न हो ।***
ख 1090	मानक बैटरी विनिर्देश के अनुरूप अपशिष्ट बैटरीयां, सीसा, कैडमियम या पारे से बनी बैटरियों को छोड़कर ।****
ख 1100	धातुओं को गलाने, प्रगलन और परिष्करण से उत्पन्न अपशिष्ट युक्त धातु
	- हार्ड जिंक स्पेलटर **
	- ड्रोस युक्त जिंक : ** ~ गैल्वेनाइजिंग स्लैब जिंक टोपड्रोस (> 90% जेड एन) ~ गैल्वेनाइजिंग स्लैब जिंक बोटम ड्रोस (> 92% जेड एन) ~ जिंक डार्ड कास्टिंग ड्रोस (> 85% जेड एन) ~ हाट डिप गैल्वेनाइजर्स स्लैब जिंक ड्रोस (बैच) (> 92% जेड एन) ~ जिंक स्कीमिंग्स (> 90% जेड एन)
	- तांबा प्रसंस्करण से या और प्रसंस्करण या परिष्करण से स्लैग जिसमें आर्सेनिक, सीसा या कैडमियम अंतर्विष्ट है ***
	- और परिष्करण के लिए बहुमूल्य धातु प्रसंस्करण से स्लैग**
	- उच्चतापसह अन्तर अपशिष्ट जिसमें तांबे के प्रगलन से उत्पन्न क्रूसिबल सम्मिलित है ।
	- एल्युमिनियम स्कीमिंग (या स्कीम) लवण स्लैग को छोड़कर **
	- टेन्टेलम बेयरिंग टिन स्लैग 0.5% से अन्यून टिन सहित ****
ख 1110	विद्युत और इलैक्ट्रॉनिक एसैम्बलीज
	- इलैक्ट्रॉनिक समंजक, जिनमें केवल धातुओं या मिश्र धातुएं हों ****

	- इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रॉनिक पुर्जों के ऐसे स्क्रैप अपशिष्ट (छपाईयुक्त सर्किट बोर्ड सहित) जिनमें सूची क में शामिल एक्जाम्पुलेटर्स तथा अन्य बैटरियां, मरकरी स्विच, कैथोड रे ट्यूबों के कांच व अन्य क्रियाशील कांच पीसीबी कैपीसिटर्स इत्यादि न हो अथवा कैडमियम, मरकरी, सीसा पॉलीक्लोरीनेटिड बाई फिनाइल जैसे अवयवों से संदूषित न हो या उन चीजों से जिनमें इन्हें निकाला गया हो और उनमें अनुसूची 2 में लक्षण, उसमें विनिर्दिष्ट सांद्रण की सीमा तक न हों ***																																
	- वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक समंजक (मुद्रित सर्किट बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और तार सहित) सीधे पुनः उपभोग के लिए किन्तु पुनः चक्रण अथवा अंतिम निपटान के लिए नहीं है ।																																
ख 1120	<p>प्रयुक्त कैटलिस्ट सिवाए ऐसे तरल पदार्थों के जिसका उपयोग कैटलिस्ट के रूप में किया गया हो, जिनमें निम्न में से कोई भी शामिल हो :</p> <p>ट्रांजीशन धातुएं, सूची क में शामिल अपशिष्ट कैटलिस्ट को छोड़कर (प्रयुक्त कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के रूप में उपयोग किए तरल पदार्थ या अन्य कैटलिस्ट) :</p> <table border="0"> <tr> <td>स्कैन्डियम</td> <td>टिटैनियम</td> </tr> <tr> <td>वेनेडियम</td> <td>क्रोमियम</td> </tr> <tr> <td>मैंगनीज</td> <td>लौह</td> </tr> <tr> <td>कोबाल्ट</td> <td>निकिल</td> </tr> <tr> <td>कॉपर</td> <td>जिंक</td> </tr> <tr> <td>यट्रियम</td> <td>जरकोनियम</td> </tr> <tr> <td>नियोबियम</td> <td>मॉलिब्डेनम</td> </tr> <tr> <td>हैफनियम</td> <td>टैंटालम</td> </tr> <tr> <td>टंगस्टन</td> <td>रेहनियम</td> </tr> </table> <p>लैनथेनइस (दुर्लभ-भू धातुएं):</p> <table border="0"> <tr> <td>लैन्थैनियम</td> <td>सीरियम</td> </tr> <tr> <td>प्रासिटयोडायमियम</td> <td>नियोडी</td> </tr> <tr> <td>समेरियम</td> <td>यूरोपियम</td> </tr> <tr> <td>गेडोलिनियम</td> <td>टरबियम</td> </tr> <tr> <td>डाइसोप्रोसियम</td> <td>होलमियम</td> </tr> <tr> <td>इर्बियम</td> <td>थूलियम</td> </tr> <tr> <td>येटरवियम</td> <td>लुटेटियम</td> </tr> </table>	स्कैन्डियम	टिटैनियम	वेनेडियम	क्रोमियम	मैंगनीज	लौह	कोबाल्ट	निकिल	कॉपर	जिंक	यट्रियम	जरकोनियम	नियोबियम	मॉलिब्डेनम	हैफनियम	टैंटालम	टंगस्टन	रेहनियम	लैन्थैनियम	सीरियम	प्रासिटयोडायमियम	नियोडी	समेरियम	यूरोपियम	गेडोलिनियम	टरबियम	डाइसोप्रोसियम	होलमियम	इर्बियम	थूलियम	येटरवियम	लुटेटियम
स्कैन्डियम	टिटैनियम																																
वेनेडियम	क्रोमियम																																
मैंगनीज	लौह																																
कोबाल्ट	निकिल																																
कॉपर	जिंक																																
यट्रियम	जरकोनियम																																
नियोबियम	मॉलिब्डेनम																																
हैफनियम	टैंटालम																																
टंगस्टन	रेहनियम																																
लैन्थैनियम	सीरियम																																
प्रासिटयोडायमियम	नियोडी																																
समेरियम	यूरोपियम																																
गेडोलिनियम	टरबियम																																
डाइसोप्रोसियम	होलमियम																																
इर्बियम	थूलियम																																
येटरवियम	लुटेटियम																																
ख 1130	कैटलिस्टयुक्त क्लीन्डस्पैट बहुमूल्य धातु																																
ख 1140	ठोस रूप में बहुमूल्य धातु, जिसके अंतर्विष्ट अपशिष्ट जिसके अंतर्विष्ट अनुरेख अकार्बनिक साइनाइड हो																																
ख 1150	मूल्यवान धातु, और मिश्र धातु अपशिष्ट (सोना, चाँदी, प्लेटिनम वर्ग के) विक्षेपित रूप में																																

ख 1160	मुद्रित सर्किट बोर्ड के भस्मीकरण बहुमूल्य धातु भस्म, (सूची क क 1150 से संबंधित प्रविष्ट नोट करें)
ख 1170	फोटोग्राफिक फिल्म के भस्मीकरण से बहुमूल्य धातु भस्म
ख 1180	चांदी हैलाइड और धात्विक चांदी वाली अपशिष्ट फोटोग्राफिक फिल्म
ख 1190	चांदी हैलाइड और धात्विक चांदी वाला अपशिष्ट फोटोग्राफिक कागज
ख 1200	आयरन और स्टील के विनिर्माण से उत्पन्न ग्रेनुलेटिड स्लैग
ख 1210	आयरन और स्टील के उत्पादन से उत्पन्न स्लैग जिसमें टिटैनियम डाइ-आक्साइड और वेनेडियम के स्रोत के रूप में स्लैग शामिल है
ख 1220	जिंक उत्पादन से स्लैग, कैमिकली स्टैबलाइज्ड, जिसमें आयरन अंश अधिक है (20% से अधिक) और जिसके औद्योगिक विनिर्देशों के अनुसार मुख्यतः निर्माण के लिए प्रसंस्कृत किया गया है
ख 1230	आयरन और स्टील के विनिर्माण से उत्पन्न मिल स्केलिंग **
ख 1240	कापर-आक्साइड मिल स्केल ***
ख 2	मुख्यता अकार्बनिक संघटक वाले अपशिष्ट जिनमें धातु और कार्बनिक तत्व हो सकते हैं ।
ख 2010	गैर-विक्षेपित रूप में खनन संक्रियाओं से अपशिष्ट:
	- प्राकृतिक ग्रेफाइट अपशिष्ट
	- स्लेट अपशिष्ट
	- अभ्रक अपशिष्ट
	- ल्यूसाइट, नेफलाइन और नेफलाइन साइनाइट अपशिष्ट
	- फेल्डस्पार अपशिष्ट
	- फ्लोरस्फार अपशिष्ट
	- फाउंड्री संक्रियाओं में प्रयुक्त सिलिका को छोड़कर ठोस रूप में सिलिका अपशिष्ट
ख 2020	गैर-विक्षेपित रूप में कांच अपशिष्ट :
	- कांच क्युलेट और अन्य अपशिष्ट और कैथोड रे ट्यूबों अन्य और एक्टिवेटिड कांच से एक्टिवेटिड क्युलेट के अलावा कांच स्क्रेप **
ख 2030	गैर-विक्षेपित रूप में सेरामिक अपशिष्ट :
	सेरामिक अपशिष्ट और स्क्रेप (धातु सेरामिक लवण) - सेरामिक आधारित रेशें
ख 2040	मुख्यतया अकार्बनिक घटक वाले अन्य अपशिष्ट :
	- प्लु गैस डीसलफरीजेशन से उत्पन्न आंशिक परिष्कृत कैल्शियम सल्फेट (एफजीडी) - भवन गिराने के कारण से होने वाले अपशिष्ट जिप्सम वालबोर्ड अथवा प्लास्टरबोर्ड - ठोस रूप में सल्फर - कैल्शियम सायनामाइड के उत्पादन से लाइमस्टोन (पीएच < 9) - सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड - कारबोरन्डम (सिलिकॉन कारबाइड) - खंडित कंक्रीट - लिथियम टेन्टालम और कांच स्क्रेप वाला निहित लिलियम-नियोबियम

ख 2060	पेयजल की अभिक्रिया और खाद्य उद्योग की प्रक्रियाओं और विटामिन उत्पादन के कारण होने वाले स्पैन्ट एक्टिवेटेड कार्बन (सूची क क 4160 पर सम्बद्ध प्रविष्टि नोट करें)
ख 2070	कैल्शियम फ्लोराइड स्लज
ख 2080	रसायन उद्योग प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट जिप्सम जब तक इसमें अनुसूची 2 में उल्लिखित कोई भी संघटक उसमें विनिर्दिष्ट सांद्रण सीमा तक न हो ।
ख 2090	पैट्रोलियम कोक अथवा बिटुमन से बने स्टील अथवा एल्युमीनियम उत्पादन से उत्पन्न अपशिष्ट एनोड बट्स, जोकि सामान्य औद्योगिक विनिर्देशों के अनुसार साफ किए गए हैं (क्लोर एल्कली इलैक्ट्रोलिसिस में एनोड बट्स और मेटालर्जिकल उद्योग को छोड़कर)
ख 2100	एल्युमिनियम के अपशिष्ट हाइड्रेट्स तथा अपशिष्ट अल्युमिना तथा गैस सफाई, फ्लोक्युलेशन अथवा फिल्टर प्रक्रिया से उत्पन्न एल्युमिना उत्पादन के अवशेष
ख 2110	बॉक्साइट अवशेष ("लाल मिट्टी") (11.5 से कम तक पीएच हल्का किया गया)
ख 2120	2 से अधिक और 11.5 से कम पीएच के साथ अपशिष्ट एसिड अथवा बेसिक घोल, जो क्षयकारी अथवा अन्यथा परिसंकटमय नहीं हैं (संबंधित प्रविष्टि सूची क क 4090 पर नोट करें)
ख 3	मुख्यतया कार्बनिक संघटक वाले अपशिष्ट, जिनमें धातु और अकार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं ।
ख 3010	ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट *
	निम्नलिखित प्लास्टिक अथवा मिश्रित प्लास्टिक अपशिष्ट बशर्ते उनको अन्य अपशिष्टों के साथ मिलाया न गया हो और विनिर्देश के अनुसार तैयार किया गया हो :
	- नान-हैलोजेनेटेड पॉलीमर और कोपालीमर के स्क्रेप प्लास्टिक, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हो, किंतु उन तक सीमित न हो :
	इथाइलीन
	स्टायरिन
	पॉलीप्रोपीलीन
	पॉलीएथिलीन-टेरीफथालेट
	एक्रीलोनीट्राईल
	बुटाडाइन
	पॉलीसिटेल्स
	पॉलीमाईड्स

	पॉलीब्यूटिलीन टैरे-फथेनोट
	पॉलीकार्बोनेट्स
	पॉलीईथर्स
	पॉलीफिनीलीन सल्फाइड
	एक्रिलिक पॉलीमर्स
	एल्केन सी 10 - सी 13 (प्लास्टिसाइजर)
	पॉलीयूरिथेन (सी एफ सी के अंश न हों)
	पॉलीसिलोक्सेन्स
	पॉलीमिथाइल मिथक्राइलेट
	पॉलीविनाइल एल्कोहल
	पॉलीविनाइल ब्यूटिरेल
	पॉलीविनाइल एसीटेट
	- अभिराधित अपशिष्ट रेरिन या रांघनन उत्पाद, जिरामें निम्नलिखित शामिल हो :
	यूरिया फॉर्मल्डीहाइड रेरिन
	फिनोल फार्मल्डीहाइड रेसिन
	मेलामाइन फार्मल्डीहाइड रेसिन
	एपाक्सी रेसिन
	एल्कायड रेसिन
	पॉलीएमाइड्स
	- निम्नलिखित फ्लोरीनेटिड पॉलीमर अपशिष्ट (पश्च-उपभोक्ता अपशिष्ट रहित)
	परफ्लूरोएथिलीन/प्रोपलीन
	परफ्लूरोएल्काक्सी/एल्केन
	मेटाफ्लूरोएल्काक्सी एल्केन
	पॉलीविनियल फ्लोराइड
	पॉलीविनियलडिनेफ्लोराइड
ख 3020	पेपर, पेपर बोर्ड और पेपर उत्पाद अपशिष्ट * निम्नलिखित सामग्री, बशर्ते उन्हें खतरनाक अपशिष्टों में नहीं मिलाया गया है : पेपर अपशिष्ट और पेपर अथवा पेपर बोर्ड स्क्रेप - अविंजित पेपर अथवा पेपर बोर्ड अथवा लहरदार पेपर अथवा पेपर बोर्ड - अन्य पेपर अथवा पेपर बोर्ड मुख्यतया रजित रसायन लुगदी रो बने, व्यापक रूप से रंगा न गया हो - मुख्यतया यांत्रिक लुगदी (उदाहरणार्थ समाचार पत्र, पत्रिका और ऐसा ही मुद्रित सामग्री) से बना पेपर अथवा पेपर बोर्ड - अन्य, 1) लेमिनेटिड पेपर बोर्ड, 2) अवर्गीकृत छीजन सहित किंतु उन तक सीमित नहीं
ख 3130	अपशिष्ट पॉलीमर ईथर और अपशिष्ट गैर-परिसंकटमय मोनोमर ईथर पेराक्साइड फोरमिंग में अक्षम
ख 3140	न्यूमैटिक टायर अपशिष्ट, संसाधन पुनःप्राप्ति, पुनःचक्रण, पुनःसुधार अथवा प्रत्यक्ष पुनःप्रयोग न किए जाने वालों को छोड़कर

ख 4	ऐसे अपशिष्ट, जिनमें अकार्बनिक और कार्बनिक घटक हो सकते हैं :
ख 4010	मुख्यतया जल आधारित/लेटेक्स पेंट, स्याही और हाईड वार्निश वाले अपशिष्ट, जिनमें कार्बनिक, साल्वेंट, भारी धातु अथवा बायोरगडिट उस सीमा तक नहीं हैं कि उन्हें परिसंकटमय कहा जा सके (सूची क 4070 में सम्बद्ध सूची देखें)
ख 4020	रेसिन, लेटेक्स, प्लास्टिसाइज्ड ग्लूस/एडहैसिव के उत्पादन, निर्माण और उपयोग से उत्पन्न अपशिष्ट जो सूची 'क' में सूचीबद्ध नहीं है, साल्वेंटमुक्त है और उस सीमा तक अन्य संदूषक जो अनुसूची-3 भाग (ग) की विशेषताओं को नहीं दर्शाते हैं :
ख 4030	बैटरी सहित प्रयुक्त एकल प्रयोग कैमरा, जो सूची क में शामिल नहीं है ।

- \* यह सूची परिसंकटमय अपशिष्टों के सीमापार संचलन संबंधी बेसल कन्वेंशन के उपाबंध-9 पर आधारित है और इसमें वे अपशिष्ट सम्मिलित हैं, जो बेसल कन्वेंशन के अनुच्छेद-1 में परिसंकटमय के रूप में वर्णित नहीं किए गए हैं ।
- \*\* देश में बिना किसी अनुज्ञप्ति या निर्बंधन के आयात की अनुमति है ।
- \*\*\* पुनःचक्रण पुनःप्रसंस्करण के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत और डी जी एफ टी अनुज्ञप्ति वाली यूनिटों द्वारा देश में आयात की अनुमति है ।
- \*\*\*\* पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनुमति और डीजीएफटी अनुज्ञप्ति वाले वास्तविक प्रयोक्ताओं को देश में आयात की अनुमति है ।

अनुसूची-3 (भाग-ख) में सूचीबद्ध अन्य सभी अपशिष्टों को जो तारांकित (\*---) नहीं है, देश में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनुमति से आयात किया जा सकता है ।

#### टिप्पण :

- (1) कापर धातुमल, जिसमें तांबा 65% से अधिक और सीसा और कैडमियम क्रमशः 1.25% और 0.1% तक या इससे कम; सॉफ्ट क्लोनीड मेटल कैटालिस्ट तांबा हो; और तांबा रिवर्टस, केक और अवशिष्ट, जिसमें सीसा और कैडमियम क्रमशः 1.25% और 0.1% या इससे कम हो को पर्यावरण और वन मंत्रालय में रजिस्ट्रीकृत इकाईयों को (वास्तविक उपभोक्ता) रजिस्ट्रीकरण पत्र में उपदर्शित वार्षिक मात्रा सीमा तक डीजीएफटी अनुज्ञप्ति में बिना आयात के लिए अनुज्ञात किया गया है । तांबा रिवर्टस, केक और अपशिष्ट जिनमें सीसा और कैडमियम क्रमशः 1.25% और 0.1% से अधिक है, या उस प्रतिबंधित संवर्ग में है जिसके लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (वास्तविक उपभोक्ता) के पास रजिस्ट्रीकृत यूनिटों द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय प्रसंस्कृत या पुनःउपयोग के प्रयोजन के लिए केवल डीजीएफटी की अनुज्ञप्ति पर आयात की अनुमति दी गई है ।
- (2) जिंक राख/वियोजन में स्कीमिंग, जिसमें जिंक 65% से अधिक और सीसा और कैडमियम क्रमशः 1.25% और 0.1% या इससे कम है और सॉफ्ट क्लोनीड मेटल कैटालिस्ट, जिसमें जिंक है, डीजीएफटी की अनुज्ञप्ति के बिना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ रजिस्ट्रीकृत यूनिटों को (वास्तविक उपभोक्ता) रजिस्ट्रीकरण पत्र में उपदर्शित वार्षिक मात्रा सीमा तक आयात के लिए अनुज्ञात है । जिंक राख और स्कीमिंग, जिसमें जिंक 65% से कम है और सीसा और कैडमियम क्रमशः 1.25% और 0.1% या इससे अधिक है और हाई जिंक सॉल्डर और ताम्र धातुमल, जिसमें सीसा 1.25% से अधिक है, उस निर्बन्धित प्रवर्ग के अधीन है जिसके लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ रजिस्ट्रीकृत इकाईयों (वास्तविक उपभोक्ता) द्वारा प्रसंस्करण या पुनःउपयोग के प्रयोजन के लिए डीजीएफटी अनुज्ञप्ति पर आयात की अनुमति दी गई है ।

भाग ग  
परिरांकटमय लक्षणों की सूची

कोड                      लक्षण

एच 1                      विस्फोटक

कोई विस्फोटक पदार्थ या अपशिष्ट ठोस या तरल पदार्थ अथवा अपशिष्ट (या पदार्थों अथवा अपशिष्टों का मिश्रण) है, जो स्वयं में रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ऐरो तापमान और दाब और ऐसी गति पर गैरा उत्पादन में समर्थ है, जो आस-पास की वस्तुओं को हानि पहुंचाता है, (यू एन श्रेणी 1; एच आई)

एच 3                      ज्वलनशील द्रव्य

"ज्वलनीय" शब्द का वही अर्थ है जो ज्वलनशील का है। ज्वलनीय द्रव्य ऐसे द्रव्य या द्रव्यों का मिश्रण है या विलयन अथवा निलंबन में ठोसयुक्त द्रव्य है (उदाहरणार्थ पेंट, वार्निश, प्रलाक्षारत इत्यादि, किन्तु इनमें ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट सम्मिलित नहीं हैं, जिन्हें उनके खतरनाक लक्षणांक के कारण अन्य रूप में वर्गीकृत किया गया है) जो क्लोज्ड-कप टेस्ट में 60.5 डिग्री सेल्सियस से अनाधिक के तापमान पर या आपेन-कप टेस्ट में 60.5 डिग्री सेल्सियस से अनाधिक के तापमान पर ज्वलनीय वाष्प छोड़ते हैं। (चूंकि ओपन-कप टेस्ट और क्लोज्ड-कप टेस्ट के परिणाम रावर्था तुलनीय नहीं हैं और समान जांच के पृथक परिणाम भी परिवर्तनशील हैं, अतः ऐसे अंतरों को अनुज्ञात करने के लिए उपरोक्त अंकों से विनियमनों में फेरबदल करना इस परिभाषा के अभिप्राय के अंतर्गत होगा)

एच 4.1                      ज्वलनीय ठोस

विस्फोटक के रूप में वर्गीकृत से भिन्न ठोस अपशिष्ट ठोस जो परिवहन के दौरान झेली गई परिस्थितियों के अधीन आसानी से आग पकड़ लेते हैं या घर्षण, स्वप्रतिक्रिया से आग लगा सकते हैं।

एच 4.2                      ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो स्वतः ज्वलनशील हैं।

ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जिनके परिवहन में सामान्य परिस्थितियों के अधीन स्वतः गर्म होने की संभावना होती है या जो वायु के संपर्क में आने पर गर्म हो जाते हैं और फिर आग पकड़ सकते हैं।

एच 4.3                      जल से संपर्क होने पर ज्वलनीय गैसे उत्सर्जित करने वाले पदार्थ या अपशिष्ट

ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो जल से परस्पर क्रिया द्वारा स्वतः ज्वलनीय बनने के या खतरनाक मात्रा में ज्वलनीय गैसे छोड़ सकते हैं।

- एच 5.1 आक्सीकरण**  
 ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो स्वयं आवश्यक रूप से दहनशील नहीं हैं, किन्तु साधारणतया ऑक्सीजन छोड़कर अन्य सामग्री में आग लगा सकते हैं, आग लगाने में सहायक हो सकते हैं ।
- एच 5.2 कार्बनिक पैराक्साइड्स**  
 ऐसे कार्बनिक पदार्थ या अपशिष्ट, जिनमें वाइवेलन्ट ओ-ओ संरचना है व ऊष्मीय अस्थिर पदार्थ है, जिनमें स्वतः त्वरित ऊष्माक्षेपक विघटन हो सकता है ।
- एच 6.1 विष (तीव्र)**  
 ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो यदि निगल या सूँघ लिए जाएं या त्वचा से संपर्क द्वारा या तो मृत्यु का कारण बनने, गंभीर क्षति पहुंचाने या स्वास्थ्य के लिए हानि कारक हो सकते हैं ।
- एच 6.2 संक्रामक पदार्थ**  
 ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो ऐसे जीवनक्षम सूक्ष्म जीवों या उनके ऐसे जीव विष से मुक्त हैं, जो पशुओं या मनुष्यों में बीमारी फैलाते हैं या ऐसा संदेह है ।
- एच 8 संक्षारक**  
 ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो रासायनिक क्रिया द्वारा जीवित ऊतकों के संपर्क में आने पर गंभीर क्षति पहुंचाएंगे, अथवा परिवहन के राधनों को काफी क्षति पहुंचाएंगे अथवा नष्ट भी कर देंगे, ये अन्य परिसंकट उत्पन्न कर सकते हैं ।
- एच 10 वायु या जल के संपर्क में विषैली गैसों का उत्सर्जन**  
 ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो वायु या जल से परस्पर क्रिया द्वारा खतरनाक परिणामों में विषैली गैसों छोड़ सकते हैं ।
- एच 11 विषैली (विलंबित या चिरकालिक)**  
 ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो यदि सूँघ लिए जाएं या जिनका अंतर्ग्रहण कर लिया जाए या यदि त्वचा में प्रवेश कर लें तो विलंबित या चिरकालिक प्रभाव दिखा सकते हैं, जिनमें कासिनोजेनसिटी शामिल है ।
- एच 12 इकोटाक्सिक**  
 ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट, जो यदि उत्सर्जित हो जाएं तो पर्यावरण पर बायोएकुमुलेशन के द्वारा तुरंत या विलंबित प्रतिकूल प्रभाव और/या बायोटिक प्रणाली पर विषैला प्रभाव छोड़ते हैं या छोड़ सकते हैं ।
- एच 13** जो किसी उपाय से निस्तारण के पश्चात् अन्य सामग्री छोड़ने में समर्थ हैं, उदाहरणार्थ लीचेट, जिसमें ऊपर सूचीबद्ध कोई एक लक्षण भी है ।



## अनुसूची 4

[नियम 8 (1) और नियम 9 देखें]

पुनः चक्रण/पुनः प्रसंस्करण हेतु रजिस्ट्रेशन के लिए अपेक्षित परिसंकटमय पदार्थों की सूची

क्र०सं०	अपशिष्ट
1	पीतल ड्रास
2	ताम्र ड्रास
3	कॉपर आक्साइड मिल स्केल
4	ताम्र प्रत्यावृत, केक और अवशिष्ट
5	विपेक्षित रूप में अपशिष्ट ताम्र और ताम्र मिश्र
6	और प्रसारण या शोधन के लिए ताम्र प्रसंस्करण से धातुमल
7	विद्युत्रोधी ताम्र तार रक्रेब/ताम्र, जिसके अंतर्गत आईएसआरआई कोड पदार्थ अर्थात् "ड्र्यूड" भी हैं
8	जेली फिल्ड ताम्र तारे
9	ताम्र वाली स्पैट क्लीयरड मेटल कैटलिस्ट
10	निकिल, कैडमियम, जिंक, ताम्र और आर्सेनिक वनाडियम और कोबाल्ट वाले स्पैट कैटलिस्ट
11	जिंक ड्रास-हाट डिप गैल्वनाइजर स्लैब
12	जिंक ड्रास-बाटम ड्रास
13	गैल्वानाईजिंग और ड्राई-कास्टिंग प्रचालनों से होने वाली जिंक राख/स्कीमिंग
14	स्मैल्टिंग और धातुओं के शोधन से उत्पन्न जिंक राख/रक्रीमिंग/अन्य जिंक वाले अपशिष्ट
15	बिखरने वाले जिंक अलाय अपशिष्टों सहित जिंक राख और अपशिष्ट
16	जिंक वाले स्पैट क्लीयर्ड मेटल कैटलिस्ट
17	बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2001 के अधीन न आने वाली लैंड एसिड बैटरी प्लेट्स और अन्य लैंड रक्रेप/राख/अपशिष्ट । [*बैटरी स्क्रैप अर्थात् आईएसआरआई कोड में सम्मिलित लैंड, बैटरी प्लेट्स, कोड वर्ड "रेल्स" बैटरी लग्गा आईएसआरआई में सम्मिलित कोडवर्ड "रेक्स"; आईएसआरआई कोड में शामिल रक्रेप ड्रेन/शुष्क, लैंड बैटरीज] कोड वर्ड "रेन्स"
18	इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के अपशिष्ट घटक, जिसमें सूची क में सूचीबद्ध एक्युमुलेटर्स और अन्य बैटरियों के संघटक, मरकरी स्विच, कैथोड-रे ट्यूब्स से क्रियाशील ग्लारा क्यूलेटस और अन्य क्रियाशील ग्लारा और पी सी बी - केपीरिटेर्स और अन्य अनुसूची 2 के संघटकों के साथ अन्य संदूषित घटक (यथा कैडमियम, मरकरी, लेड, पोलिक्लोरिनेटिड, बाईफिनाइल) उस सीमा तक शामिल हैं कि ये इस अनुसूची के भाग में निर्दिष्ट परिसंकट लक्षण प्रदर्शित करते हैं ।
19	पेंट और इंक स्लज/अपशिष्ट
20	समय-समय पर विदित विनिर्देशों के अनुसार प्रयुक्त तेल और अपशिष्ट तेल

## अनुसूची 5

[नियम 3(य ड.) और (य च)]

भाग 4

पुनःप्रसंस्करण/पुनःचक्रण के लिए उपयुक्त प्रयुक्त तेल के विनिर्देश

क्र०सं० (1)	पैरामीटर (2)	अधिकतम अनुज्ञेय सीमाएं (3)
1	पोलीक्लोरीनेटिड बाईफिनाइल (पी सी बी <sub>ER</sub> )	<2 पी पी एम *
2	लैड	100 पी पी एम
3	आर्सेनिक	5 पी पी एम
4	कैडमियम + क्रोमियम + निकल	500 पी पी एम
5	पोलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स (पी ए एच)	6%

## भाग ख

अपशिष्ट तेल से व्युत्पन्न ईंधन के विनिर्देश

क्र०सं० (1)	पैरामीटर (2)	अधिकतम अनुज्ञेय सीमाएं (3)
1	सेडिमेंट	0.25%
2	लैड	100 पी पी एम
3	आर्सेनिक	5 पी पी एम
4	कैडमियम + क्रोमियम + निकल	500 पी पी एम
5	पोलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स (पी ए एच)	6%
6	कुल हेलोजन	4000 पी पी एम
7	पोलीक्लोरीनेटि बाई-फिलाइल (पी सी बी)	<2 पी पी एम *
8	सल्फर	4.5%
9	जल तत्व	1%

\* इलेक्ट्रान केपचर डिटेक्टर (ई सी डी) का प्रयोग करते हुए गैरा लिक्विड क्रोमेटोग्राफ (जी एल सी) द्वारा संसूचन सीमा 2 पी पी एम है।

अनुसूची 6  
[नियम 13(4) देखें]  
आयात और निर्यात के लिए प्रतिषिद्ध परिसंकटमय अपशिष्ट

क्र०सं०	बेसल सं०*	परिसंकटमय पदार्थ का वर्णन
1	क 1010	अपशिष्ट वाला पारा
2	क 1030	वे अपशिष्ट, जिसमें पारा है : संघटक या संदूषण के रूप में पारा सम्मिश्रण
3	क 1010	अपशिष्ट वाला बेरेलियम
4	क 1020	वे अपशिष्ट, जिसमें बेरेलियम है : संघटक या संदूषण के रूप में बेरेलियम सम्मिश्रण
5	क 1010	अपशिष्ट वाला आर्सेनिक
6	क 1030	वे अपशिष्ट, जिसमें आर्सेनिक है : संघटक या संदूषण के रूप में आर्सेनिक सम्मिश्रण
7	क 1010	अपशिष्ट वाला सेलेनियम
8	क 1010	वे अपशिष्ट, जिसमें सेलेनियम है : संघटक या संदूषण के रूप में सेलेनियम सम्मिश्रण
9	क 1010	अपशिष्ट वाला थेलियम
10	क 1030	वे अपशिष्ट, जिसमें थेलियम है : संघटक या संदूषण के रूप में थेलियम सम्मिश्रण
11	क 1040	अपशिष्ट वाला हेक्सावैलेन्ट क्रोमियम सम्मिश्रण
12	क 1140	अपशिष्ट वाला क्यूरपिक क्लोराइड और ताम्र सायनाइड कैटालिस्ट
13	क 1190	वेस्ट मेटल केबल्स, प्लारिडक कोटिड अथवा इन्सुलेटिड अथवा कोलतार के साथ संदूषित, पी सी बी, सीसा कैडमियम अन्य ओरगानोहेलोजन संघटक और अन्य घटक जैसाकि अनुसूची 2 में उल्लिखित है, उसमें निर्दिष्ट संकेन्द्रण सीमाओं के विस्तार तक ।
14	क 2020	अकार्बनिक क्लोरीन संघटक के अपशिष्ट, जो द्रव या रलज के रूप में हैं, किंतु जिसमें कैल्शियम फ्लोराइड रलज न हो ।
15	क 2040	रासायनिक औद्योगिक प्रक्रिया से उद्भूत अपशिष्ट जिसमें यदि यह अनुसूची 2 में दिए गए संघटक, उसमें विनिर्दिष्ट संकेन्द्रण की सीमाओं के विस्तार तक अंतर्विष्ट है ।
16	क 2050	अपशिष्ट एजबेरटोज (धूल और रेशा)
17	क 3030	ऐरो अपशिष्ट, जिनमें सीसा अपस्कोटररोधी यौगिक रलज या सीसायुक्त पेट्रोल (गैसोलीन) अपांक अंतर्विष्ट है या उनमें है या उनसे संदूषित है ।
18	क 3040	अपशिष्ट तापीय (ऊष्मा स्थानांतरण) तरल

19	क 3060	नाइट्रोसेलुलोज अपशिष्ट
20	क 3090	अपशिष्ट चर्म धूल, भस्म, स्लज या विचूर्ण जब उसमें षटसंयोजी क्रोमियम यौगिक या बायोसाइड हो।
21	क 3100	चर्म शोधन और अन्य चर्म अपशिष्ट या चर्मयौगिक अपशिष्ट जो कि चर्म वस्तुओं के निर्माण में उपयुक्त न हो। षटसंयोजी क्रोमियम यौगिक और बायोसाइड हो।
22	क 3110	फेलमोजरी अपशिष्ट, जिसमें षटसंयोजी क्रोमियम यौगिक या बायोसाइड या संक्रामक पदार्थ भी है।
23	क 3150	हैलोजनिक कार्बनिक विलयन
24	क 3180	अपशिष्ट पदार्थ और वस्तुएं, जिनमें संदूषण के साथ पॉलीक्लोरीनेटिड बाईफिलाईल (पीसीबी) और/या पॉली क्लोरेनेटिड बाइफिनाइल और/या पॉलीक्लोरीनेटिड नैफथलीनस (पीसीएन) और/या पॉली ब्रोमिनेटिड बाइफिनाइल (पीसीबी) या इन यौगिकों का कोई अन्य पॉलीबॉमिनेटेड एनेलोगस शामिल हैं।
25	क 3190	कोलतारी अवशेष अपशिष्ट (एस्फाल्ट सीमेंट के सिवाय), जो कि शोधन या आसवन और अन्य कार्बनिक पदार्थों के पाइरोलिटिक उपचार से उद्भूत होते हैं।
26	क 4020	नैदानिक और संबंधित अपशिष्ट; मेडिकल नर्सिंग, डेंटल, वेटेनरी अथवा वैरो ही कार्यों से उत्पन्न अपशिष्ट तथा अस्पताल अथवा रोगियों के अन्वेषण अथवा निदान के दौरान अथवा अनुसंधान परियोजनाओं के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट।
27	क 4030	बायोसाइड और फाइटो-फार्मस्युटिकल्स के उत्पादन फार्मुलेशन और उपयोग से प्राप्त अपशिष्ट, जिनमें कीटनाशी, शाकनाशी अपशिष्ट भी हैं जो विनिर्देश से पृथक कालातीत हैं या उसके अभिप्रेत मूल उपयोग के लिए अनुपयुक्त हैं।
28	क 4050	वे अपशिष्ट, जो निम्नलिखित में से किसी से मिलकर बने हैं, सम्मिलित हैं या उनमें से किसी से संदूषित हैं : अकार्बनिक साइनायड, अकार्बनिक सायनाइड के ठोस रूप में मिलकर बने हों, अवशेष वाली आर्गेनिक साइनायड मूल्यवान धातु को छोड़कर।
29	क 4060	अपशिष्ट तेल/जल, हाइड्रोकार्बन/जल मिश्रण, इमल्सन
30	क 4110	वे अपशिष्ट, जो निम्नलिखित में से किसी से मिलकर बने हैं, सम्मिलित हैं या उनमें से किसी से संदूषित हैं : - किसी सजातीय पॉलीक्लोरीकृत डाइबेंजोप्यूरान - किसी सजातीय पॉलीक्लोरीकृत डाइबेंजो-हाइआक्सीन

## अनुसूची-7

[नियम 23 देखें ]

## प्राधिकरणों की सूची और तत्स्थानी कर्तव्य

क्र.सं०	प्राधिकरण	तत्संबंधी कर्तव्य
1	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	<p>i परिरांकटमय अपशिष्टों की पहचान करना</p> <p>ii परिसंकटमय अपशिष्टों के निर्यातकर्ताओं को अनुमति</p> <p>iii परिसंकटमय अपशिष्टों के आयातकर्ताओं को अनुमति</p> <p>iv भारत से परिसंकटमय अपशिष्टों के अभिवहन के लिए अनुमति ।</p> <p>v परिरांकटमय अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्यकलाप संबंधी प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम प्रायोजित करना ।</p>
2	जल ( प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण ) अधिनियम, 1974 के अधीन गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	<p>i राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/ समितियों के कार्यकलापों का समन्वय ।</p> <p>ii परिसंकटमय अपशिष्टों के प्रबंध को संचालित करने वाले प्राधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन ।</p> <p>iii अपशिष्ट और लीचेट की अभिक्रिया और व्ययन के लिए मानकों और विनिर्देशों की सिफारिश करना । परिसंकटमय अपशिष्टों के वर्गीकरण के लिए प्रक्रियाओं की सिफारिश करना ।</p> <p>iv परिरांकटमय अपशिष्ट प्रबंधन, हथालन और सीमापार संचालन) नियमावली, 2008 में शामिल करने के लिए अपशिष्ट की पहचान करने के लिए विनिर्दिष्ट दस्तावेजीकरण सेक्टर</p> <p>v परिसंकटमय अपशिष्टों को रोकने/ कम करने / न्यून करने और हथालन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना</p> <p>vi पुनःचक्रणकर्ताओं/ पुनः शोधन कर्ताओं का पंजीकरण और पंजीकरण का नवीनीकरण</p> <p>vii पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नियमों के अधीन प्रत्यायोजित कोई अन्य कार्य</p>
3	राज्य सरकार/ रांघ राज्य क्षेत्र सरकार/ प्रशासन	<p>i सामान्य अभिक्रिया, भंडारण और व्ययन सुविधा के लिए स्थल की पहचान करना (टीएसडीएफ)</p> <p>ii ईआईए रिपोर्टों का निर्धारण और स्थल के अनुमोदन का विनिश्चय सूचना देना या अन्यथा कोई कार्य</p>

		<p>iii स्थल का अर्जन करना अथवा सुविधा के प्रचालक या अधिभोगी या अधिभोगियों के संगम को स्थल अर्जन करने की सूचना देना</p> <p>iv स्थलों की अधिसूचना</p> <p>v राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में राभी व्ययन स्थलों की सूची को समय-समय पर प्रकाशित करना</p>
4	जल ( प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण ) अधिनियम, 1974 के अधीन गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियां	<p>i परिसंकटमय पदार्थ / अपशिष्टों का सूचीकरण</p> <p>ii प्राधिकार का दिया जाना और नवीकरण</p> <p>iii पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी निर्यात और आयात राहित प्राधिकार के विभिन्न उपबंधों और शर्तों के अनुपालन को मानीटर करना</p> <p>iv आयातकर्ताओं द्वारा आयात के लिए दिए गए आवेदनों की जांच करना और उन आवेदनों को पर्यावरण और वन मंत्रालय को अग्रेषित करना</p> <p>v परिसंकटमय पदार्थ / अपशिष्टों की उत्पत्ति को रोकने /कम करने/न्यून करने के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन</p> <p>vi परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन हथालन और सीमा पार संचलन नियम, 2008 के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई करना</p> <p>vii पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर इन नियमों के अंतर्गत प्रत्यायोजित कोई अन्य कार्य</p>
5	विदेशी व्यापार ( विकास और विनियमन ) अधिनियम, 1992 के अधीन गठित विदेश व्यापार महानिदेशालय	<p>i परिसंकटमय / अपशिष्टों के आयात के लिए अनुज्ञप्ति का अनुदान</p> <p>ii आयात या निर्यात के लिए प्रतिषिद्ध परिसंकटमय / अपशिष्टों के लिए अनुज्ञप्ति से इंकार करना ।</p>
6	भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 ( 1908 का 15 ) के अधीन पत्तन प्राधिकरण और सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) के अधीन सीमा शुल्क प्राधिकरण	<p>i दस्तावेजों का सत्यापन करना</p> <p>ii किसी अवैध व्यापार के बारे में पर्यावरण और वन मंत्रालय को सूचित करना</p> <p>iii आयात और निर्यात के लिए अनुमति दिए गए अपशिष्टों का विश्लेषण करना</p> <p>vi परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन, हथालन और सीमापार संचलन नियमावली 2008 के उपबंधों के संबंध में पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करना</p> <p>v भारतीय पत्तन अधिनियम 1908/ सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन निर्यातकर्ताओं / आयातकर्ता के अतिक्रमणों के विरुद्ध कार्रवाई करना</p>

प्रारूप-1

[नियम 5 (3) और (7) देखें ]

परिसंकटमय अपशिष्ट के संग्रहण/ ग्रहण/अभिक्रियान्वयन/ परिवहन/ भंडारण व्ययन का प्राधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

द्वारा .....

सेवा में,

सदरय सचिव,

.....प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/.....प्रदूषण नियंत्रण समिति,.....

महोदय,

मैं/ हम परिसंकटमय अपशिष्ट ( प्रबंधन, हथालन और सीमा पारसंचलन ) नियमावली 2008 के नियम 5 के उपनियम ( 3) के अधीन परिसंकटमय अपशिष्टों के भंडारण/ व्ययन / संग्रहण / ग्रहण/ अभिक्रियान्वयन/ परिवहन के लिए प्राधिकार/ प्राधिकार के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर रहा हूँ/कर रहे हैं ।

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए

5. कोड सं०  
6. क्या इकाई अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र में स्थित है जैसा कि पर्यावरण और मंत्रालय द्वारा पहचान की गई है।

आवेदक द्वारा भरा जाए

भाग क: सामान्य

3. (क) इकाई का नाम और पता क्रियाकलाप का अवरधान :  
(ख) जिसके लिए प्राधिकार अपेक्षित है ( कृपया समुचित क्रियाकलाप/क्रियाकलापों पर सही का निशान लगाएं ।
- (i) संग्रहण  
(ii) ग्रहण  
(iii) अभिक्रियान्वयन  
(iv) परिवहन  
(v) भंडारण  
(vi) व्ययन

(ग) प्राधिकार के नवीनीकरण के मामले में पूर्व प्राधिकार संख्या और तारीख

\*जो लागू न हो उसे काट दें ।

4. (क) क्या इकाई ऐसे परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न कर रही है जैसा कि इन नियमों में बताया गया है।  
(ख) यदि ऐसा है तो अपशिष्टों का प्रकार और उनकी मात्रा (टन/ के एल में ) :-

5. (क) परियोजना में निवेशित कुल पूंजी ( रूपयों में ) :
- (ख) उत्पादन के आरम्भ का वर्ष :
- (ग) क्या इकाई में सामान्य /दो शिफ्टों /चौबीस घंटे काम होता है । :
- 6 (क) उत्पादों और सह उत्पादों की सूची और मात्रा ( टन/ के एल में ) :
- (ख) प्रयुक्त कच्चे माल की मात्रा और सूची ( टन/ के एल ) :
7. कैप्टिव पावर जनरेशन और खनिज रहित जल के लिए उत्पन्न अपशिष्ट सहित उत्पादों के लिए निवेश और परिणाम दर्शाते हुए निर्माण प्रक्रिया का पलो डायग्राम प्रस्तुत करना ।

#### भाग ख : परिसंकटमय अपशिष्ट

8. परिसंकटमय अपशिष्ट
  - (क) इन नियमों के अधीन परिभाषित किए गए अनुसार उत्पन्न परिसंकटमय अपशिष्ट का प्रकार :
  - (ख) उत्पन्न परिसंकटमय अपशिष्ट की मात्रा :
  - (ग) स्रोत और अपशिष्ट की विशेषताएं :  
( अपशिष्ट में पुनः चक्रण, पुनः शोधन और पुनः प्रयोग के लिए सुविधाजनक अपशिष्टों को भी उपदर्शित करें ) :
  - (घ) संयंत्र के भीतर भंडारण की पद्धति की विधि और क्षमता : ब्यौरा दें
9. परिसंकटमय रसायन का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989 के अधीन यथापरिभाषित परिसंकटमय रसायनों के भंडारण से इन नियमों के अनुसार उत्पन्न परिसंकटमय अपशिष्ट

#### भाग ग: अभिक्रियान्वयन, भंडारण और चयन सुविधा

10. निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए सुविधा प्रस्ताव का ब्यौरा ( संलग्न करें )
  - (i) स्थान की अवस्थिति (नक्शा उपलब्ध कराएं)
  - (ii) अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का नाम
  - (iii) प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का ब्यौरा
  - (iv) प्रतिदिन प्रसंस्कृत अपशिष्ट की मात्रा और प्रकार
  - (v) स्थान की मंजूरी ( स्थानीय प्राधिकरण से, यदि कोई हो )
  - (vi) प्रसंस्कृत अपशिष्ट के लिए उपयोजन कार्यक्रम ( उत्पाद उपयोजन )
  - (vii) व्ययन पद्धति की विधि ( संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाए )
  - (viii) प्रतिदिन व्ययनित किए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा
  - (ix) अपशिष्ट की प्रकृति और रांघटन
  - (x) लैंड फिलिंग/ भस्मीकरण की पद्धति और रांक्रिया संबंधी ब्यौरे
  - (xi) लीचेट की अभिक्रिया सहित पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए किए जानेवाले उपाय
  - (xii) परियोजना में निवेश और आशीयत लाभ
  - (xiii) संयंत्र में काम करने वाले कर्मकारों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय

स्थान :  
तारीख :

हरताक्षर-----  
पद -----



## प्रारूप 2

[ नियम 5 (4) ]

परिसंकटमय अपशिष्ट के संग्रहण, ग्रहण, अभिक्रियान्वयन, भंडारण, परिवहन और व्ययन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा अधिष्ठाता /पुनः प्रसंस्करणकर्ता, पुनःउपयोगकर्ताओं और सुविधा प्रचालकों के लिए प्राधिकार की मंजूरी / नवीनीकरण का प्रारूप

1. प्राधिकार की संख्या और जारी करने की तारीख :
2. ....के.....को.....में स्थित परिसरों पर परिसंकटमय अपशिष्ट के संग्रहण, ग्रहण अभिक्रियान्वयन, भंडारण, परिवहन और व्ययन के लिए सुविधा प्रचालन करने के प्राधिकार को मंजूरी दी जाती है ।
3. परिसंकटमय अपशिष्टों के उत्पन्न, संग्रहण,ग्रहण अभिक्रियान्वयन भंडारण, परिवहन और व्ययन के लिए सुविधा प्रचालन के प्राधिकार को मंजूरी दी जाती है ।
4. प्राधिकार..... की अवधि तक प्रवृत्त रहेगा
5. प्राधिकार नीचे दी गई शर्तों और पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 के अधीन तत्समयपरिवृत्त नियमों में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन है ।

तारीख :

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर  
पदनाम और मुद्रा

## प्राधिकार निबंधन और शर्तें

1. प्राधिकार, पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुपालन में होगा ।
2. प्राधिकरण या उसका नवीनीकरण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के अनुरोध पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।
3. प्राधिकृत व्यक्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रदूषण नियंत्रण समिति की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना परिसंकटमय अपशिष्टों को किराए पर नहीं देगा, उधार नहीं देगा , विक्रय नहीं करेगा, उसका अंतरण अथवा परिवहन नहीं करेगा ।
4. प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन में यथा उल्लिखित कार्य काल की दशाओ के रूप में कार्मिकों, उपस्करों में कोई अप्राधिकृत परिवर्तन उसके प्राधिकार के भंग का गठन करेगा ।
5. प्राधिकृत व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सुविधा बंद करने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति की पूर्व अनुमति ले ।
6. प्राधिकार के नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन इन नियमों के अधीन अधिकथित किए गए /किया जाएगा ।
7. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अनुपालन के लिए कोई अन्य शर्तें ।

## प्रारूप 3

[ नियम 5 (6), नियम 18 (5) और 22 देखें ]

सुविधा के अधिष्ठाता या प्रचालक द्वारा परिसंकटमय अपशिष्टों के अभिलेख के रखरखाव हेतु प्रारूप

1. सुविधा के अधिष्ठाता अथवा प्रचालक का नाम और पता
2. प्राधिकार जारी किए जाने तारीख और उसकी संदर्भ संख्या
3. परिसंकटमय अपशिष्ट का वर्णन

वर्णन सहित वास्तविक रूप	रासयनिक रूप	कुल मात्रा ( एम ) और भार (कि०ग्रम में )

4. परिसंकटमय अपशिष्ट के भंडारण और अभिक्रियान्वयन का विवरण

तारीख	परिसंकटमय अपशिष्टों के भंडारण की पद्धति	तारीख	परिसंकटमय अपशिष्टों के अभिक्रियान्वयन की पद्धति

5. परिसंकटमय अपशिष्ट के परिवहन का ब्यौरा

पैकेज के परेषिती का नाम और पता	परिवहन के लिए अपशिष्ट की पैकजिंग का ढग	व्ययन के स्थलतक परिवहन का ढग	परिवहन की तारीख

## प्रारूप 4

[नियम 5 (16) और नियम 22(2) देखें]

सुविधा के अधिष्ठाता या प्रचालक द्वारा वार्षिक विवरणियां फाइल करने के लिए प्रारूप

[व्ययन सुविधा के अधिष्ठाता/ प्रचालक द्वारा अप्रैल से मार्च की पूर्ववर्ती अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति को प्रस्तुत किया जाए]

1.	सुविधा के उत्पादक/ प्रचालक का नाम और पता	:	
2.	प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और टेलीफोन तथा फैंकरा नम्बर सहित पूरा पता	:	
3.	परिसंकटमय अपशिष्ट का वर्णन	:	वर्णन सहित वास्तविक रूप रासायनिक रूप
4.	परिसंकटमय अपशिष्टों की मात्रा (एम टी ए में)	:	परिसंकटमय अपशिष्ट का प्रकार (क) (ख) (ग) .....
5.	भंडारण का वर्णन	:	
6.	अभिक्रियान्वयन का वर्णन	:	
7.	परिवहन के ब्यौरे	:	परेषिती का नाम और पता पैकिंग का ढग परिवहन का ढग परिवहन की ढग
8.	परिसंकटमय अपशिष्ट के व्ययन के ब्यौरे	:	परेषिती का नाम और पता पैकिंग का ढग परिवहन का ढग परिवहन का तारीख
9.	विनिर्माताओं* और अन्यो# को वापस भेजी गई उपयोगी सामग्रियों की मात्रा	:	निम्नलिखित को वापस भेजी गई सामग्री का नाम और प्रकार विनिर्माता* अन्य#

\* जो लागू न हों उसे काट दें

#अन्य एजेंसियों की सूची संलग्न करें।

हस्ताक्षर :

पदनाम :

तारीख : .....

स्थान : .....

**प्रारूप-5**  
(नियम 8(1) देखें)

पुनः संस्करण/पुनः चक्रण के लिए पर्यावरणीय अनुकूल प्रबंधन सुविधाएं रखने वाली औद्योगिक इकाइयों के रजिस्ट्रीकरण अनुदान /नवीकरण के लिए आवेदन का प्रारूप

(पुनः प्रसंस्करणकर्ता/ पुनः चक्रणकर्ता द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा)

1	यूनिट का नाम और पता:	
2	यूनिट के अधिष्ठाता या स्वामी का नाम पदनाम दूरभाष/फैक्स सहित :	
3	यूनिट आरंभ करने की तारीख :	
4	कर्मचारों की संख्या (ठेका श्रमिकों सहित) :	
5	सहमति विधिमान्यता	क)जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 .....तक विधिमान्य ख)वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 .....तक विधिमान्य
6	पिछले तीन वर्षों के दौरान-विनिर्मित उत्पाद (टन/वर्ष)	वर्ष    उत्पाद का नाम    मात्रा मिट्टिक टन या के एल में क) ख) ग)
7	पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे माल की खपत ( टन/ वर्ष )	वर्ष    खपत किए गए कच्चे माल का नाम    मात्रा मिट्टिक टन या के एल में क) ख) ग)
8	विनिर्माण प्रक्रिया	कृपया प्रत्येक उत्पाद (उत्पादों) के विनिर्माण की प्रक्रिया प्रवाह का डायग्राम संलग्न करें
9	जल उपभोग	औद्योगिक .....घनमीटर/ प्रतिदिन घरेलू.....घनमीटर / प्रतिदिन
10	अब तक संदाय किया गया जल उपकर ( तारीख )	.....
11	सहमति के अनुसार उत्पन्न अपशिष्ट जल .....घनमीटर प्रतिदिन	औद्योगिक / घरेलू वास्तविक.....घनमीटर/ प्रतिदिन ( पिछले तीन मास का औसत )
12	अपशिष्ट जल अभिक्रियान्वयन स्कीम का प्रवाह डायग्राम	औद्योगिक

	उपलब्ध कराएँ )	घरेलू			
13	अपशिष्ट जल बहिःसाव	मात्रा.....घनमीटर प्रतिदिन अवस्थान..... शोधित अपशिष्ट जल का विश्लेषण पीएच, बीओडी, सीओडी, एसएस, ओ एण्ड जी और अन्य कोई जैसा कि एस पी सी बी/ पी सी सी द्वारा अनुबंधित किया जाए ( विवरण संलग्न करें)			
14	वायु प्रदूषण नियंत्रण				
	क. प्रत्येक प्रसंस्करण यूनिट उपयोगिता आदि के लिए संस्थापित उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली का प्रवाह डायग्राम				
	ख. सामग्री हथालन, प्रसंस्करण, उपयोगिता आदि के कारण फ्यूजीटिव उत्सर्जन नियंत्रण के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के ब्यौरे				
	ग. ईंधन खपत	ईंधन का नाम	मात्रा प्रतिदिन/मास		
		क)			
		ख)			
	घ. स्टैक उत्सर्जन मानीटरिंग परिणाम	संलग्न स्टैक	उत्सर्जन (एस पी एम, एस ओ <sub>2</sub> , एन ओ <sub>x</sub> और धातुएं (जैसे- पीबीआदि) मि. ग्रा/एन एम <sub>3</sub> में कण		
	ड. परिवेशी वायु गुणवत्ता	परिवेशी वायु गुणवत्ता अवस्थान :	मापदंड (एस पी एम, एस ओ <sub>2</sub> , एन ओ <sub>x</sub> पीबी, कोई अन्य) यूजी/एनएम <sub>3</sub> में		
15	परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन क) अपशिष्ट उत्पादन ख) संग्रहण, अभिक्रियान्वयन और परिवहन के ब्यौरे ग) व्ययन (i) कृपया व्ययन सुविधाओं के ब्यौरे संलग्न करें (ii) कृपया उत्पादित परिसंकटमय अपशिष्टों के लक्षणों की विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न करें (जिसके अंतर्गत, यदि लागू हो तो, लीचेट परीक्षण भी है)	क्र.स.	नाम	प्रवर्ग	मात्रा पिछले तीन वर्ष
16	कच्चे सामान के रूप में उपयोग के लिए यथारिधति, विक्रय/बातचीत/संविदा या आयात के द्वारा से	1. नाम 2. प्रति वर्ष अपेक्षित मात्रा			

	अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित परिसंकटमय अपशिष्टों के ब्यौरे	3. बेसल कन्वेंशन के उपबंध 8 (सूची क) उपबंध 9 (सूची ख) में सूचीबद्ध अपशिष्ट और संस्थापित सं० 4. बेसल कन्वेंशन के उपबंध 3 के अनुसार परिसंकटमय लक्षण
17	व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलू	कृपया उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं का ब्यौरा दें
18	टिप्पण (i) क्या उद्योग में उत्सर्जन/बहिस्त्राव के मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली/उपस्कर उपलब्ध कराएं (ii) क्या परिसंकटमय अपशिष्ट संग्रहण, अभिक्रियान्वयन, और भंडारण और व्ययन सुविधाएं समाधानप्रद रूप में काम कर रही हैं ? (iii) क्या हथालन/प्रसंस्करण किए जा रहे अपशिष्टों से ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं या होने की संभावना हैं जिससे पर्यावरण पर तत्काल या विलंब से प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है ? (iv) क्या ऐसी दशाएं विद्यमान हैं या हाने की संभावना है जो किसी भी तरह हथालन/प्रसंस्करण किए जा रहे अपशिष्टों / कोई ऐसी अन्य सामग्री अर्थात् लिचेट उत्पन्न करने में समर्थ है जिसमें मौसमी विषाकता हो ?	हां / नहीं हां / नहीं हां/ नहीं हां/ नहीं
19	कोई अन्य सूचना (i) (ii) (iii)	
20	नियमानुसार संलग्नकों की सूची	

तारीख :  
स्थान :

हस्ताक्षर :  
पदनाम :

## प्रारूप -6

[ नियम 8 (7) देखें ]

**पुनः चक्रणीय परिसंकटमय अपशिष्टों के संबंध में वार्षिक विवरणियां और अभिलेख फाइल करने के लिए प्रारूप**

(पुनःचक्रणकर्ता द्वारा पूर्ववर्ती अप्रैल से मार्च तक की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष 30 जून तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति को प्रस्तुत किया जाए )

1	पुनः चक्रणकर्ता का नाम और पता :			
2	प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और टेलीफोन तथा फैक्स नं० सहित पूरा पता :			
3	परिसंकटमय पदार्थों के पुनः चक्रण या व्ययन के लिए संस्थापित वार्षिक क्षमता ( एम टी ए में )			
4	क्रय की गई/विक्रीत परिसंकटमय अपशिष्ट की मात्रा (एम टी ए में)	अपशिष्ट का प्रकार	खरीद/विक्रय का स्रोत/	मात्रा (एम टी ए में)
5	प्रसंस्कृत परिसंकटमय अपशिष्ट की मात्रा	प्रसंस्कृत अपशिष्ट का प्रकार	मात्रा (एम टी ए में)	
6	प्राप्त की गई सामग्री की मात्रा और किस्म (एमटीए में)	प्राप्त की गई सामग्री की किस्म	मात्रा (एम टी ए में)	
7	उत्पादकों/विनिर्माताओं* और अन्यों #को वापिस भेजी गई उपयोगी सामग्रियों की मात्रा	निम्नलिखित को वापिस भेजी गई सामग्री का नाम और किस्म	मात्रा टन/के एल में	
		विनिर्माताओं का *		
		अन्य का #		
8	उत्जनित परिसंकटमय अपशिष्ट की मात्रा (एमटीए में) और उसके व्ययन की पद्धति	अपशिष्ट का प्रकार	मात्रा (एम टी ए में)	व्ययन की पद्धति

\* जो लागू न हो उसे काट दें ।

# अन्य अभिकरणों की सूची संलग्न करें ।

हस्ताक्षर  
पदनाम

स्थान.....

तारीख .....

## प्रारूप -7

[ नियम 15 (I) और 16(I) देखें ]

पुनः प्रसंस्करण / पुनः चक्रण / के लिए परिसंकटमय अपशिष्ट के आयात अथवा निर्यात के लिए आवेदन प्रेषक

.....

.....

आयातकर्ता द्वारा भेजा जाए

सेवा में,

सदस्य सचिव,

.....राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / .....प्रदूषण नियंत्रण समिति .....

महोदय,

मैं / हम पुनःचक्रण योग्य परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात की अनुमति के लिए आवेदन करता हूँ/ करते हैं।

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

- कोड सं०
- क्या यूनिट अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र में स्थित है जैसा कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पहचाना की गई है : यदि हां तो ब्यौरे दें

आवेदक द्वारा भरा जाए

1. निर्यातकर्ता का नाम और पता, टेलीफोन नं० सहित

2. पुनः चक्रण/ पुनः प्रसंस्करण / पुनः उपयोग के लिए / आयात किए जाने वाले परिसंकटमय अपशिष्ट का विवरण :

क्र०सं०	परिसंकटमय अपशिष्ट का विशिष्टियां	छः अंकीय की कोड सं० *	अपेक्षित संघटक	मात्रा एम टी / के एल	कोई विशिष्ट हथालन अपेक्षा ?

--	--	--	--	--	--



\* ( यहां यथास्थिति अपशिष्ट या इसके समकक्ष पर काउंसिल डायरेक्टिव 75/442/ ईईसी के अनुच्छेद 1 (क) के अनुसरण में जारी, यूरोपियन वेस्ट कैटालॉग ई डब्ल्यू सी की छह अंकीय की कोड सं० के समकक्ष, संदर्भ के लिए नामावली प्रवृष्टि करें )

3. अनुज्ञात परिसंकटमय अपशिष्ट परिवहन और किसी दुर्घटनात्मक घटना तथा इसकी सफाई क्रिया के लिए पूरी तरह बीमाकृत होगा ।

4. यदि निर्यात किए गए अपशिष्ट वारतव में पर्यावरणीय परिसंकट उत्पन्न करता है तो उसे वापिस ले लिया जाएगा या संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रदूषण नियंत्रण समिति के समाधान में इसका पर्यावरणीय अनुकूल तरीके से अभिक्रियान्वयन और व्ययन किया जाएगा । इस प्रकार के कार्य पर होने वाले सभी खर्चों को निर्यातकर्ता और / या आयतकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा ।

5. आयातकर्ता का नाम और टेलीफोन नं. सहित पता :

6. क्या प्राधिकरण प्राप्त किया है : ( प्रति संलग्न करें )

7. क्या आपको पूर्व में भी ऐसा परिसंकटमय आयातित अपशिष्ट प्राप्त हुआ है और यदि हां तो ब्यौरा दें।

क्र०सं०	परिसंकटमय अपशिष्ट का वर्णन	निर्यात का देश	वर्ष	मात्रा (टन में)

8. क्या आयातकर्ता के पास

(क) आयातित परिसंकटमय अपशिष्ट के हथालन के लिए पर्याप्त सुविधा है : (यदि हां तो ब्यौरा दे)

(ख) ऐसे आयातित परिसंकटमय अपशिष्ट के प्रयोग से उत्पादित परिसंकटमय अपशिष्टों के हथालन के लिए पर्याप्त सुविधा है : (ब्यौरा दे)

9. आयातित अपशिष्ट का ब्यौरा

(क) आवेदित कुल मात्रा : .....टन

(ख) ऊपर (क) में से शुरुआती रव-स्वथाने शुद्धिकरण के पश्चात् कितनी मात्रा कच्ची सामग्री के रूप में उपलब्ध होगी : ..... टन

(ग) ऊपर के (ख) में से, कितनी सामग्री उपयोगी उत्पाद के अथवा राह-उत्पाद के रूप में परिवर्तित की जाएगी : .....टन

10. परिवहन के साधन ( सड़क मार्ग, रेल मार्ग, आन्तरिक जलमार्ग, रामुद्र, वायु ) जिसके अंतर्गत निर्यात का देश, पारगमन और आयात, प्रवेश और निकारा के प्वाइंट भी है जहां पर ये नामोद्विष्ट हैं ।

11. दुर्घटना की दशा में आपातकालीन उपबंधों सहित विशेष हथालन

अपेक्षाओं से संबंधित पर सूचना

: ( विवरण संलग्न करें)

## 12. वचन बंध

मैं सत्यानिष्ठा से यह वचन देता हूँ कि :

- (i) संपूर्ण प्रेषण की राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रदूषण नियंत्रण समिति, जिला कलेक्टर, पुलिस थाना को सम्यक रूप से पूर्व सूचना के साथ मेरे पर्यवेक्षण के अधीन प्राधिकृत परिवाहक की व्यवस्था करके एक लाट में निकासी की जाएगी और आयातित अपशिष्ट को परिसर में विशेषरूप से उपबंधित किसी आहाते में ग्रहण किया जाएगा ।
- (ii) अनुज्ञात अपशिष्ट का अभिवहन और किराी आकस्मिक दुर्घटना तथा उसकी निकासी रांक्रिया के लिए पूर्ण रूप से बीमा किया जाएगा ।
- (iii) आयातित अपशिष्ट की खपत और अंतिम दशा का अभिलेख मानीटर किया जाएगा और प्रत्येक पक्ष में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समिति को उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी ।
- (iv) आयातित एसपीसीबी/ पीसीसी की 25,50,75 और 100% की खपत के प्रत्येक चरण पर भंडार की स्थिति को हमारी लागत पर एसपीसीबी/ पीसीसी प्राधिकारी को दर्शाया जाएगा।
- (v) ऐसे परिसंकटमय अपशिष्ट, जो कच्ची सामग्री के रूप में आयातित परिसंकटमय अपशिष्ट के उपयोग के द्वारा हमारे परिसर में जनित होता है, का अभिक्रियान्वयन और व्ययन केवल प्राधिकार की शर्तों के अनुसार ही किया जाएगा ।
- (vi) मैं निर्यात और मुकसान के न्यूनीकरण, यदि कोई हो, का खर्च वहन करने की सहमति देता हूँ।
- (vii) मुझे इस बात की जानकारी है कि मिथ्या प्रमाण-पत्र / वचनबंध देने / इन नियमों और विधिपूर्ण आदेशों का अनुपालन न करने के लिए विशेष शारितियों की व्यवस्था है, जिराके अंतर्गत जुर्माने और कारावास की सम्भावना भी है ।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

तारीख.....

स्थान .....

## प्रारूप-8

[ नियम 15 (1) और नियम 16 (1) देखें ]

परिसंकटमय अपशिष्ट के सीमापारीय संचलन के लिए आवेदन

क्र०सं०	विवरण	निर्यातक / आयातक द्वारा दिया जाने वाले ब्यौरे
1	निर्यातकर्ता ( नाम और पता )	:
	सम्पर्क व्यक्ति	:
	टेली / फैंक्स	:
	निर्यात के कारण	:
2	आयातकर्ता / पुनः चक्रणकर्ता ( नाम और पता )	:
	संपर्क के व्यक्ति	:
	टेली / फैंक्स	:
3	आवेदन का विषय (1)	:
	आवेदन की संदर्भ संख्या	:
	क. एकल / अधिक संचलन	:
	ख. पुनःप्राप्ति / पुनःप्रक्रिया प्रचालन	:
	ग. पूर्व-प्राधिकृत पुनः प्राप्ति/ पुनः प्रक्रिया सुविधा (1)	:
4	नौभार की कुल आशयित संख्या	:
5	अनुमानित मात्रा कि०ग्रा० / लि० में	:
6	नौभार के लिए आशयित तारीख या समय अवधि	:
7	आशयित कैरियर का (नाम ,पता )	:
	सम्पर्क व्यक्ति : टेली / फैंक्स	:
8	अपशिष्ट उत्पादनकर्ता का ( नाम ,पता )	:
	संपर्क व्यक्ति : टेली / फैंक्स	:
	जनन और प्रक्रिया स्थल	:
9	पुनःचक्रण के तरीके	:
	आर कोड	:
	प्रयुक्त प्रौद्योगिकी	:
10	परिवहन के साधन	:
11	पैकिंग का प्रकार	:
12	(i) अपशिष्ट का अभिहित और पूरा रासायनिक रांघटन ( विवरण संलग्न करें )	:
	(ii) विशेष हथालन अपेक्षाएं	:
13	भौतिक लक्षण	:
14	अपशिष्ट पहचान कोड	:
	बेराल सं०	:
	ओईसीडी सं०	:
	यूएन सं०	:
	आई टी सी ( एच एम )	:
	सीमाशुल्क कोड( एच एम )	:

	अन्य ( विशेष ब्यौरा दें )	:									
15	ओईसीडी वर्गीकरण ( विवरण संलग्न करें )	:									
	(क) अम्बर/ लाल / अन्य	:									
	(ख) संख्या	:									
16	वाई संख्या	:									
17	एच संख्या	:									
18	(क) यू एन पहचान संख्या	:									
	(ख) यू एन पोत परिवहन नाम	:									
	(ग) यू एन वर्ग	:									
	(घ) अन्य	:									
19	संबंधित राज्य, सक्षम प्राधिकरणों के कोड सं., और प्रवेश और निकास के विशिष्ट बिन्दु	:									
	निर्यात का राज्य	:									
	पारगमन का राज्य	:									
	आयात का राज्य	:									
20	प्रवेश और/ या प्रस्थान का सीमा शुल्क कार्यालय										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>प्रवेश</th> <th>प्रस्थान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	प्रवेश	प्रस्थान								
प्रवेश	प्रस्थान										
21	निर्यातकर्ता / उत्पादनकर्ता की घोषणा मैं प्रमाणित करता हूँ कि दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार पूर्ण और सही है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि विधिक रूप से प्रवर्तनीय लिखित बाध्यताओं की बावत यह करार कर लिया गया है कि कोई लागू बीमा अथवा अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां सीमापार पारगमन को शामिल करते हुए लागू रहेंगी।  नाम : _____ हस्ताक्षर : _____ तारीख : _____										
22	संलग्न उपाबन्धों की संख्या										
<b>सक्षम प्राधिकारी के उपयोग के लिए</b>											
23	आयात के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूरा किया जाना है	:									
	अधिसूचना प्राप्ति	:									
	पारगमन ( बेसाल )	:									
	(क) अभिस्वीकृति भेजने की तारीख	:									
	(ख) सक्षम प्राधिकारी का नाम, मोहर और / या हस्ताक्षर	:									
24	किरी सक्षम प्राधिकरण द्वारा संचालन की सहमति प्रदान की	:									

	गई ( देश )			
	(क) सहमति दी गई	:		
	(ख) सहमति समाप्त होगी	:		
	(ग) विशिष्ट शर्तें	:		
	(घ) सक्षम प्राधिकारी का नाम, मुहर और या हस्ताक्षर	:		
<b>सीमा शुल्क कार्यालय के उपयोग के लिए</b>				
25	निर्यात / भेजे जाने वाले देश का नाम अथवा निकास का कार्यालय	:		
	अगले पृष्ठ पर वर्णित अपशिष्ट को देश से बाहर भेजने की तारीख	:		
	मुहर	:		
	हस्ताक्षर	:		
26	आयात / गन्तव्य का देश	:		
	अगले पृष्ठ पर वर्णित अपशिष्ट देश में पहुंचा ( तारीख )	:		
	मुहर	:		
	हस्ताक्षर	:		
27	पारगमन देशों के सीमाशुल्क कार्यालयों की मुहर		देश का नाम	प्रवेश
				प्रधान

टिप्पणियां : ( 1) उचित बॉक्स में X लिखें (2) यदि एक रो अधिक हैं तो सूची संलग्न करें, (3) अधिक नौभार की विस्तृत सूची संलग्न करें ; (4) निम्नलिखित कोड देखें ।

**संचलन दस्तावेज में प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों की सूची**

<b>प्रत्युद्धरण संक्रियाएं (क्र०सं० 9)</b>	
आर 1	ईंधन (प्रत्यक्ष भस्मीकरण से भिन्न) या ऊर्जा उत्पादन के अन्य साधनों के रूप में प्रयोग ।
आर 2	विलायक का उद्धरण/पुनरुत्पादन ।
आर 3	ऐसे कार्बनिक पदार्थों का पुनरावर्तन/उद्धरण, जो विलायक के रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं ।
आर 4	धातुओं और धातु सम्मिश्रणों का पुनरावर्तन/उद्धरण ।
आर 5	अन्य अकार्बनिक पदार्थों का पुनरावर्तन/उद्धरण ।
आर 6	अम्ल और समावारों का पुनरुत्पादन ।
आर 7	प्रदूषण उपशमन के लिए प्रयुक्त संघटकों का प्रत्युद्धरण ।
आर 8	उत्प्रेरकों से संघटकों का प्रत्युद्धरण ।
आर 9	प्रयुक्त तेल का पुनःपरिशोधन या पहले प्रयुक्त तेल के अन्य पुनरुपयोग ।

आर 10	भूमि- अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप कृषि या परिस्थितिकीय अभिवृद्धि का फायदा ।
आर 11	सं० आर 1 से 10 तक की किसी भी संक्रिया से प्राप्त अवशिष्ट पदार्थों का प्रयोग ।
आर 12	सं० आर 1 से आर 11 तक की किसी भी संक्रिया के उपस्थापन के लिए अपशिष्ट पदार्थों का आदान-प्रदान ।
आर 13	सं० आर 1 से आर 12 तक की किसी भी संक्रिया के लिए आशतित पदार्थ का संचलन ।

परिवहन के साधन (क्र०सं० 10)	पैकेजिंग की किस्म (क्र०सं० 11)	एच.सं. (क्र०सं० 17) और एल आई एन वर्ग (क्र०सं० 18)		
आर = सड़क	1. ड्रम	1	एच 1	विस्फोटक
		3	एच 3	ज्वलनशील तरल
		4.1	एच 4.1	ज्वलनशील ठोस
		4.2	एच 4.2	ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट जो स्वतः दहन के भागी हैं ।
		4.3	एच 4.3	ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट जो जल के संपर्क में जाने पर ज्वलनशील गैसों उत्सर्जित करते हैं।
		5.1	एच 5.1	आक्सीकरण
		5.2	एच 5.2	कार्बनिक परआक्साइड
टी = ट्रेन/रेल	2. लकड़ी का पीपा	6.1	एच 6.1	विषैले (तीक्ष्ण)
एस = समुद्र	3. जैरीकेन	6.2	एच 6.2	संक्रामक पदार्थ
ए = वायु	4. डिब्बा	8	एच 8	रांक्षारक
डब्ल्यू = अंतर्देशीय जलमार्ग	5. बैग	9	एच 10	हवा या जल के संपर्क में विषैले गैसों का मोचन
	6. विविध पैकेजिंग	9	एच 11	विषैले (विलंबित या दीर्घकालिक)
	7. दाब पात्र			
	8. प्रपंज			
	9. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	9	एच 12	इकोटोक्सिकान
		9	एच 13	अन्य सामग्री उदाहरणार्थ लीचेट, जो ऊपर सूचीबद्ध किसी भी लक्षण को रखता है, की प्राप्ति के लिए व्ययन के पश्चात् किसी भी अन्य साधन द्वारा रामर्थ।
भौतिक गुण (क्र० सं० 12)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. चूर्णमय/चूर्ण</li> <li>2. ठोस</li> <li>3. श्यान/पेस्ट</li> <li>4. पंक</li> <li>5. तरल</li> <li>6. गैसीय</li> <li>7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)</li> </ol>		

## प्रारूप 9

[नियम 15 (5) और नियम 16(5) देखें]

## सीमापार संचलन - संचलन दस्तावेज

क्र०सं०	विवरण	आयातक/निर्यातक द्वारा दिए जाने वाला विवरण
1.	(i) निर्यातकर्ता (नाम और पता) :	
	सम्पर्क व्यक्ति :	
	टेली/फैक्स :	
	(ii) अपशिष्ट उत्पादनकर्ता (नाम और पता) :	
	सम्पर्क व्यक्ति टेली/फैक्स सहित :	
	उत्पादन का स्थल :	
2.	आयातकर्ता/पुनःचक्रणकर्ता (नाम और पता) :	
	सम्पर्क व्यक्ति टेली/फैक्स सहित :	
3.	आवेदक संदर्भ संख्या के अनुरूप :	
	एक/अधिक संचलन के अध्यक्षीन :	
4.	पोत लदाई की क्रम संख्या :	
5.	(क) प्रथम वाहक (नाम और पता) :	
	रजिस्ट्रीकरण संख्या :	
	टेली/फैक्स :	
	परिवहन के साधन की पहचान :	
	स्थानान्तरण की तारीख :	
	वाहक के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर :	
	(ख) द्वितीय वाहक (नाम और पता) :	
	रजिस्ट्रीकरण संख्या :	
	टेली/फैक्स :	
	परिवहन के साधन की पहचान :	
	स्थानान्तरण की तारीख :	
	वाहक के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर :	
	(ग) अंतिम वाहक (नाम और पता) :	
	रजिस्ट्रीकरण संख्या :	
	टेली/फैक्स :	
	परिवहन के साधन की पहचान :	
	स्थानान्तरण की तारीख :	
	वाहक के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर :	
6.	व्ययनकर्ता (नाम और पता) :	
	सम्पर्क व्यक्ति :	
	निपटान का वास्तविक स्थल :	

	टेली/फैक्स	:	
7.	वसूली की पद्धतियां	:	
	आर कोड	:	
	प्रयुक्त प्रौद्योगिकी * *(यदि आवश्यक हो तो ब्यौरा : संलग्न करें।)	:	
8.	अपशिष्ट का अभिधान और रासायनिक संयोजन	:	
9.	भौतिक लक्षण	:	
10.	वास्तविक मात्रा कि०ग्रा०/ली०	:	
11.	अपशिष्ट पहचान कोड	:	
	बेसल संख्या	:	
	ओ ई सी डी संख्या	:	
	यू एन संख्या	:	
	आई टी सी (एच एस)	:	
	सीमा शुल्क कोड(एच एस)	:	
	अन्य (विशिष्ट विवरण दें)	:	
12.	ओ ई सी डी वर्गीकरण (क) अम्बर/लाल/अन्य (ब्यौरा संलग्न करें) (ख) संख्या	:	
13.	पैकिंग टाईप	:	
	संख्या	:	
14.	यू एन वर्गीकरण	:	
	यू एन पोत परिवहन का नाम	:	
	यू एन पहचान संख्या	:	
	यू एन वर्ग	:	
	एच संख्या	:	
	वाई संख्या	:	
15.	विशेष हथालन आवश्यकताएं	:	
16.	पोत लगान की वास्तविक तारीख	:	
17.	निर्यातकर्ता की घोषणा : मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर क्र०सं० 1 से 16 में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार पूर्ण और सही है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि विधिक रूप से प्रवर्तनीय लिखित संविदाजन्य बाध्यताओं की बाबत करार कर लिया गया है कि सीमा पार संचलन को लागू कोई बीमा या अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां ऐसे संचलन को सम्मिलित करते हुए और यह कि संबद्ध राज्यों के राक्षम प्राधिकारियों से सभी आवश्यक प्राधिकारों को प्राप्त कर लिया गया है। तारीख : नाम :                      हस्ताक्षर :	:	



आयातकर्ता/पुनःचक्रणकर्ता द्वारा भरा जाए	
18.	आयातकर्ता/पुनःचक्रणकर्ता द्वारा प्राप्त पोत लदाई प्राप्त मात्रा.....कि०ग्रा०/ली० तारीख: नाम : हस्ताक्षर:
19.	पुनःचक्रणकर्ता को प्राप्त पोत लदाई पुनःचक्रणकर्ता को प्राप्त मात्रा कि०ग्रा०/ली० प्राप्त और स्वीकृत मात्रा कि०ग्रा०/ली० तारीख: नाम : हस्ताक्षर:
20.	पुनःचक्रण की अनुमानित तारीख :
21.	पुनःचक्रण की पद्धति :
22.	मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त वर्णित अपशिष्ट का पुनःचक्रण एच डब्ल्यू (एम, एच और टी एम ) नियमों के अनुसार पूरा किया जाएगा । हस्ताक्षर: तारीख:
23.	संचलन पर सहमति की विशिष्ट शर्तें : (विवरण संलग्न करें)

टिप्पणी:- (1) यदि एक से अधिक हों तो सूची संलग्न करें ; (2) उचित बॉक्स में X चिह्नंकित करें; (3) कोड पिछले (X) पर देखें राक्षम प्राधिकारी से तुरंत संपर्क करें ; (4) यदि वाहक तीन से अधिक हैं तो क्र०सं० 5 में यथा अपेक्षित जानकारी संलग्न करें ।

### संचलन दस्तावेज में प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों की सूची

प्रत्युद्धारण संक्रियाएं (क्र०सं० 7)	
आर 1	ईंधन (प्रत्यक्ष भस्मीकरण से भिन्न) या ऊर्जा उत्पादन के अन्य साधनों के रूप में प्रयोग ।
आर 2	विलायक का उद्धारण/पुनरुत्पादन ।
आर 3	ऐसे कार्बनिक पदार्थों का पुनरावर्तन/उद्धारण, जो विलायक के रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं ।
आर 4	धातुओं और धातु सम्मिश्रणों का पुनरावर्तन/उद्धारण ।
आर 5	अन्य अकार्बनिक पदार्थों का पुनरावर्तन/उद्धारण ।
आर 6	अम्ल और समावारों का पुनरुत्पादन ।
आर 7	प्रदूषण उपशमन के लिए प्रयुक्त संघटकों का प्रत्युद्धारण ।
आर 8	उत्प्रेरकों से संघटकों का प्रत्युद्धारण ।
आर 9	प्रयुक्त तेल का पुनःपरिशोधन या पहले प्रयुक्त तेल के अन्य पुनरुपयोग ।
आर 10	भूमि- अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप कृषि या परिस्थितिकीय अभिवृद्धि का फायदा ।
आर 11	सं० आर 1 से 10 तक की किसी भी संक्रिया से प्राप्त अवशिष्ट पदार्थों का प्रयोग ।
आर 12	सं० आर 1 से आर 11 तक की किसी भी संक्रिया के उपस्थापन के लिए अपशिष्ट पदार्थों का आदान-प्रदान ।
आर 13	सं० आर 1 से आर 12 तक की किसी भी संक्रिया के लिए आशतित पदार्थ का संचलन ।

परिवहन के साधन (क्र०सं० 5)	पैकेजिंग की किस्म (क्र०सं०13)	एच.सं. (क्र०सं० 14) और यू एन वर्ग (क्र०सं० 14)		
		यू एन वर्ग	एच वर्ग	पद
आर = सड़क	1. ड्रम	1	एच 1	विस्फोटक
टी = ट्रेन/रेल	2. लकड़ी का पीपा	3	एच 3	ज्वलनशील तरल
एस = समुद्र	3. जैरीकेन	4.1	एच 4.1	ज्वलनशील ठोस
ए = वायु	4. डिब्बा	4.2	एच 4.2	ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट जो स्वतः दहन के भागी हैं।
डब्ल्यू = अंतर्देशीय जलमार्ग	5. बैग	4.3	एच 4.3	ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट जो जल के संपर्क में जाने पर ज्वलनशील गैसों उत्सर्जित करते हैं।
	6. विविधक पैकेजिंग	5.1	एच 5.1	आक्सीकरण
	7. दाब पात्र	5.2	एच 5.2	कार्बनिक परआक्साइड
	8. प्रपञ्ज	6.1	एच 6.1	विषैले (तीक्ष्ण)
	9. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	6.2	एच 6.2	संक्रामक पदार्थ
		8	एच 8	रांक्षारक
		9	एच 10	हवा या जल के संपर्क में विषैले गैसों का मोचन
		9	एच 11	विषैले (विलंबित या दीर्घकालिक)
		9	एच 12	इकोटोक्सिन
		9	एच 13	अन्य सामग्री उदाहरणार्थ लीचेट, जो ऊपर सूचीबद्ध किसी भी लक्षण को रखता है, की प्राप्ति के लिए व्ययन के पश्चात् किसी भी अन्य साधन द्वारा समर्थ।

भौतिक गुण (क्र० सं० 09)	
	1. चूर्णमय/चूर्ण
	2. ठोरा
	3. श्यान/पेस्ट
	4. पंक
	5. तरल
	6. गैसीय
	7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

वाई संख्या (क्र०सं० 09) बेसल कन्वेंशन के उपाबंध I और II में सूचीबद्ध अपशिष्ट के वर्गों को निर्दिष्ट करें, साथ ही ब्यौरेवार जानकारी बेसल कन्वेंशन के सचिवालय से उपलब्ध अनुदेश निदेशिका में मिल सकती है।

**प्रारूप 10**

[नियम 15(7) और 16(7) देखें]

**आयातित और निर्यातित (ख) अतरनाक अपशिष्ट  
के रिकार्ड के रख-रखाव के लिए प्रारूप**

1. आयातक/ निर्यातक का नाम और पता :
2. खतरनाक अपशिष्ट के आयात/निर्यात की अनुमति जारी करने की तारीख और संदर्भ संख्या :
3. खतरनाक अपशिष्ट का विवरण :

क्रम सं०	आयात/निर्यात की तारीख और संगत खेप की संख्या	अपशिष्ट का उद्गम/गन्तव्य	कुल मात्रा और भार (किलोग्राम में)	भौतिक अवस्था	रसायनिक अवस्था	निरीक्षण रिपोर्ट

4. खतरनाक अपशिष्ट के भण्डारण, शोधन और पुनः उपयोग का विवरण :

क्रम सं०	आयात/निर्यात की तारीख और खेप की संख्या	कुल मात्रा और भार (किलोग्राम में)	निरीक्षण रिपोर्ट	भण्डारण का तरीका	शोधन और पुनः उपयोग का तरीका (विवरण दें)

प्रारूप 11  
[नियम 20(2) देखें]

परिवहन आपात स्थिति (हर्म) कार्ड

[खतरनाक अपशिष्ट परिवहन के दौरान ट्रांसपोर्टर द्वारा भरा जाना है, सुविधा प्राप्त करने वाले या देने वाले द्वारा उपलब्ध कराया जाना है ]

1. खतरनाक अपशिष्ट के गुण :

क्रम सं०	अपशिष्ट का प्रकार	भौतिक गुण	रसायनिक संघटक	प्रभावन खतरे	प्राथमिक उपचार आवश्यकताएं

2. आग की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :
3. बिखरने/दुर्घटना/विस्फोट की स्थिति में अपनाई जाने प्रक्रिया :
4. विशेषज्ञ सेवाओं के लिए कृपया संपर्क करें :
- (i) नाम और पता :
- (ii) टेलीफोन नं. :

(दखलदार/प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम और पता)

-----

**प्रारूप 12**  
[नियम 20(2)देखें]

**खतरनाक अपशिष्ट कन्टेनर की मार्किंग**

खतरनाक अपशिष्ट \*

सावधानीपूर्वक हथालन

अपशिष्ट श्रेणी संख्या .....	संगत ग्रुप.....
कुल मात्रा.....	भण्डारण की तारीख
अपशिष्ट की विषय सूची और स्थिति :	
भेजने वाले का नाम और पता	प्राप्त करने वाले का नाम और पता
फोन .....	फोन .....
ई-मेल .....	ई-मेल .....
टेलीफोन और फैक्स .....	टेलीफोन और फैक्स .....
संपर्क व्यक्ति .....	संपर्क व्यक्ति .....
आपातस्थिति की दशा में संपर्क करें .....	

**टिप्पणी :**

1. प्रयोगशाला का परिदृश्य रंग **फ्लूरोसेंट पीला**
2. 'खतरनाक अपशिष्ट' और 'सावधानी पूर्वक हथालन' शब्द स्पष्ट होने चाहिए और हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में लाल रंग में लिखे होने चाहिए
3. लेबल अप्रच्छालनीय(नॉन वाशेबल) पदार्थ का होना चाहिए

\*जो लागू ना हो उसे काट दें



प्रारूप 14  
(नियम 24 देखें)

दुर्घटना रिपोर्ट का प्रपत्र

[सुविधा के अधिभोगी अथवा प्रचालक द्वारा और एस पी सी बी/पी सी सी के परिवहक द्वारा प्रस्तुत किया जाना है ] .

1. दुर्घटना की तारीख और समय :
2. दुर्घटना की जिम्मेदार घटनाओं का क्रम :
3. दुर्घटना में शामिल परिसंकटमय अपशिष्ट :
4. रवास्थ्य अथवा पर्यावरण पर दुर्घटना के प्रभावों के मूल्यांकन की तारीख :
5. किए गए आपातकालीन उपाए :
6. दुर्घटना के प्रभावों को समाप्त करने के लिए उठाए गए कदम :
7. ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए गए कदम :

स्थान :

हस्ताक्षर :

दिनांक :

पदनाम :

-----

प्रारूप 15  
[नियम 26(1) और (2)]

सी पी सी बी/एस पी सी बी/संघ क्षेत्र की पी सी सी द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध  
अपील दायर करने का आवेदन

1. अपील करने वाले व्यक्ति का नाम और पता :
2. उस प्राधिकरण का नाम और आदेश की संख्या  
और दिनांक जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है : (आदेश की प्रमाणित  
प्रति संलग्न करें )
3. अपील करने का आधार :
4. मांगी गई राहत :
5. पैरा 2 में संदर्भित आदेश, जिसके विरुद्ध अपील  
दायर की गई है, के अतिरिक्त अनुलग्नकों की सूची :

हस्ताक्षर.....

दिनांक :

नाम और पता.....

[मि. सं.-23-17/2006-एन एस एम डी]

आर के वैश, संयुक्त सचिव